

UTTAR PRADESH TOURISM POLICY 2022

यूपी नहीं देखा, तो इंडिया नहीं देखा

Directorate of Tourism

Uttar Pradesh Rajarshi Purushottam Das Tandon Paryatan Bhavan C-13,
Vipin Khand, Gomti Nagar, For Lucknow, Uttar Pradesh

Phone : +91-522-4061369 | Email : dg-upt@up.gov.in

● Design by conceptz**and**beyond.com



scan to
download book



scan to
visit the website

C&B
conceptz**and**beyond


UTTAR PRADESH TOURISM POLICY 2022

यूपी नहीं देखा,
तो इंडिया नहीं देखा

यूपी नहीं देखा, तो इंडिया नहीं देखा



उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति - 2022





UTTAR PRADESH TOURISM


UTTAR PRADESH

TO URI SM

POLICY 2022

यूपी नहीं देखा, तो इंडिया नहीं देखा





आध्यात्मिक व प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, ऐतिहासिक एवं अतुल्य लोक संस्कृतियों की संगम स्थली उ. प्र. विश्व का शानदार पर्यटन स्थल है। 'अतिथि देवो भवः' धारण किए हुए प्रदेश में सभी पर्यटन प्रेमियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है।

Shri Yogi Adityanath
Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh

Table of contents



Introduction	01
Period of Operation	03
Coverage	05
Tourism Roadmap 2022	07
1. Focus Tourist Destinations (FTDs)	17
2. Thematic Sectors	19
3. Mega Circuits and enhancement of present offerings	37
4. Eligible Tourism Units	55
5. Heritage Tourism Units	73
6. Bed and Breakfast/Homestay scheme	81
7. Incentives, Subsidies and Concessions	85
8. Government Facilitation	97
9. Institutional Mechanism	105
Government Orders	113
Application for obtaining tourism registration certificate	131
Procedure for claiming incentives and subsidies	145



सन्देश



जयवीर सिंह

मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश

जयवीर सिंह



उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का प्रकाशन हर्ष एवं गौरव का विषय है। प्रदेश में उपलब्ध असीम पर्यटन स्थलों को आकर्षण एवं व्यवसाय केन्द्र बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 तैयार की गयी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों हेतु अपार संभावनाओं को समाहित किए हुए हैं। यहां निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। भारत के प्रमुख धार्मिक केंद्र जैसे- अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर के साथ भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई पवित्र स्थलों की उपस्थिति विश्वभर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह पर्यटन नीति इको टूरिज्म, वेलनेस, हेरिटेज तथा एडवेंचर टूरिज्म के नए आयाम प्रदेश में स्थापित करेगी।

पर्यटन गन्तव्यों के विकास हेतु 12 पर्यटन सर्किट आच्छादित किये गये हैं। प्रदेश में पर्यटन उद्योगों को चिह्नित करते हुए 33 विभिन्न पर्यटन श्रेणियों को नवीन पर्यटन नीति 2022 में सम्मिलित किया गया है। नवीन पर्यटन नीति 2022 में पर्यटन उद्यमियों को पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत तक का अनुदान अनुमत्य किया गया है। महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के निवेशकों के लिए प्रदेश में पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु अतिरिक्त पाँच प्रतिशत पूंजीगत अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान, लाभ एवं छूट प्रदान करने के लिए पारदर्शी एवं सहज ऑनलाइन व्यवस्था निरूपित है।

इस कुशल व विकासशील पर्यटन नीति से लोग आकर्षित होकर प्रदेश में वृद्ध निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश एवं विदेश के निवेशकों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्तावित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी समय में यह पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश के पर्यटन को शिखर पर स्थापित करेगी।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को तैयार करके लागू किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।



message



Mukesh Kumar Meshram
IAS

Principal Secretary & Director General,
Uttar Pradesh Tourism

Mukesh Kumar Meshram



Giant Buddha
in Samath Temple

Uttar Pradesh is fast emerging as India's most favored tourism destination. The State has rich diversity of twenty plus globally acclaimed popular tourist destinations, belonging to multiple faiths, three UNESCO Word Heritage Sites. The State is rapidly developing seamless multi- modal connectivity, new tourism infrastructure and amenities, brand development and niche thematic products within or outside its twelve Mega Tourism Circuits through its own resources and private sector participation.

The department has unveiled the new "**Tourism Policy 2022**", to promote Tourism related Investments into the State, encourage more rapid private sector participation, aide creation of assets (hard and soft infrastructure), build capacity building of tourism service providers, promote holistic responsible and sustainable tourism ecosystem. The policy has enhanced direct contribution towards capital subsidy upto 30% per project, leading to robust post operational efficiencies and faster execution of projects. Policy opened investment possibilities into 33 new categories of Tourism Units.

The policy is considered as one of the best Industry Friendly Tourism Policies in recent times in India. The Tourism Policy of 2022 shall provide a maximum Rs 40 Crores per project for investments more than Rs 500 Crores while reducing the minimum capital investment requirement for all categories to Rs 10 lakhs only. One of the special features has been envisaging development of "Focus Tourism Destinations" where additional 5% capital subsidy will be provided apart from focus on those unserved locations, where pace of Tourism Infrastructure creations needs faster growth drivers. Special support will be accorded to women entrepreneurs, with majority stakes and those belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Categories of the State.

It gives me immense pleasure to launch the most Industry Friendly Tourism Policy in the Country, "Uttar Pradesh Tourism Policy 2022" which shall provide much needed economic thrust to the making of Uttar Pradesh a 1 Trillion Dollar Economy by 2027 and creating a favored enabling "Uttam Pradesh" for Private Sector Participation, promoting ease of doing business and enabling more transparency in availing the subsidy through digital subsidy application and disbursement Portal namely " New Tourism Subsidy Portal".

The Operational Guidelines and Standard Operating Procedures (SOP) further proposes to streamline all processes and formats, so as to encourage faster disbursal of capital subsidies and incentives and make it more digitally enabling, linking them to Nivesh Mitra and Nivesh Sarathi of the State Government.



introduction परिचय

Uttar Pradesh is already a globally known and popular tourism destination which receives the greatest number of Foreign Tourist Arrivals (FTAs) and Domestic Tourist Arrivals (DTAs) each year. Most recently, Uttar Pradesh (UP) emerged at the top position for attracting the highest number of domestic tourists and secured third position in attracting foreign tourists with a record footfall of nearly 47 lakhs in 2019. The tourism industry in UP has a significant contribution to the states' economic growth. It is expected that this Policy will strengthen the existing infrastructure, will foster infrastructure development, income, and employment generation, and increase the much-needed availability of hotel rooms for the tourists.

Uttar Pradesh has guarded India's treasure trove of heritage and cultural assets over the ages which attract heritage enthusiasts not just from all over the country but across the world. Through quality upkeep and restoration of assets designed to improve visitor experience, the state aims to increase tourism earnings and footfall with increased average length of stay (ALS) and to encourage repeat visits. Uttar Pradesh is now popularizing new thematic tourism products such as eco-tourism, adventure tourism, rural tourism and YUVA tourism as niche tourism products to build interest in new age tourists and travelers.

The new Tourism Policy 2022 will replace the Tourism Policy 2018. The new Policy has been formed keeping in view new emerging trends in the tourism sector, representations given by various stakeholders including the tourism and hospitality associations and suggestions received from other departments. The policy primarily addresses issues related to ease of implementation through a district promotion council and policy implementation committee, speedy implementation through inter-departmental coordination with departments like Revenue, Urban Development and Housing and Local Self-Government and incentivizing tourist destinations as Focus Tourist Destinations in Uttar Pradesh.



उत्तर प्रदेश विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां हर साल अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों और घरेलू पर्यटकों का आगमन होता रहा है। हाल ही में, उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर रहा और 2019 में लगभग 47 लाख के रिकॉर्ड पर्यटक आगमन के साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में यह नवीन पर्यटन नीति मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, अवस्थापना का विकास करेगी, आय और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी तथा पर्यटकों हेतु निवास स्थान की कमी को दूर करेगी।

उत्तर प्रदेश ने युगों-युगों से भारत की धरोहर और सांस्कृतिक सम्पदा के खजाने की रक्षा की है, जो न केवल भारत के बल्कि विश्व भर से धरोहर और सांस्कृतिक सम्पदा में रुचि रखने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगंतुक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निर्मित की गई संपत्ति की गुणवत्ता के रखरखाव और बहाली के माध्यम से, राज्य का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में आय और प्रवास की औसत अवधि में वृद्धि करना और पर्यटकों को बार-बार प्रदेश में आगमन हेतु प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश अब नए विषयात् पर्यटन उत्पादों जैसे ईको-टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और युवा पर्यटन को उच्च स्तरीय पर्यटन उत्पादों के रूप में लोकप्रिय बना रहा है ताकि नए जमाने के पर्यटकों और यात्रियों में रुचि पैदा की जा सके।

नवीन पर्यटन नीति 2022, पूर्व में प्रचलित पर्यटन नीति 2018 का स्थान ले गी। नई नीति का निर्माण पर्यटन क्षेत्र में नए उभरते रुझानों, पर्यटन और आतिथ्य संघों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व और अन्य विभागों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नवीन पर्यटन नीति 2022 मुख्य रूप से एक जिला प्रोत्साहन परिषद और नीति कार्यान्वयन समिति के माध्यम से कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान किये जाने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। राजस्व विभाग, नगर विकास और आवास विभाग और स्थानीय स्वशासन जैसे विभागों के साथ अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से त्वरित कार्यान्वयन और पर्यटन स्थलों को फोकस पर्यटन स्थलों के केन्द्र के रूप में प्रोत्साहित करती है।



period of **operation**

संचालन की अवधि

This scheme comes into effect from 23rd November 2022 and shall remain in force for a period of 5 years or until substituted.

यह पर्यटन नीति 23 नवंबर 2022 को लागू की गई है, जो 5 साल की अवधि के लिए अथवा प्रतिस्थापित होने तक लागू रहेगी।





coverage

आच्छादन



Entrance
to Dudhwa National Park

The units under Uttar Pradesh Tourism Policy 2022 will include

- Tourism units which have already availed benefits under the tourism policy of 2016 and 2018, implemented earlier, will get benefits within the permissible limits of expansion under this policy.
- Tourism units built or under construction or non-operational after 1st February 2018 but registered under the Tourism Policy 2018 and start commercial operations during the operative period of Tourism Policy 2022 will be eligible as per the rules to get the permissible benefits under this tourism policy.
- Heritage buildings, palaces, forts and other old, classified buildings constructed before 1st February 2016 and converted into tourism units through adaptive reuse will be allowed to obtain benefits under this policy. Determination of eligibility for providing financial incentives/subsidies to these units will be done through the Departmental Screening Committee after inspection and evaluation. The final approval of a Special Category Building shall be decided by State level Special Tourism Committee
- All eligible tourism units registered under Tourism Policy 2022

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार इकाइयों को सम्मिलित किया जायेगा

- पूर्व में क्रियान्वित पर्यटन नीति 2016 एवं पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुकी पर्यटन इकाइयों को इस नीति के अन्तर्गत विस्तार की अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होंगे।
- 1 फरवरी 2018 के बाद निर्मित या निर्माणाधीन या गैर-संचालित परन्तु पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पंजीकृत और पर्यटन नीति 2022 की परिचालन अवधि के दौरान वाणिज्यिक संचालन शुरू करने वाली पर्यटन इकाइयां इस पर्यटन नीति के तहत अनुमेय लाभ प्राप्त करने के लिए नियमानुसार पात्र होंगी।
- 1 फरवरी 2016 से पहले निर्मित और अनुकूली पुनः उपयोग के माध्यम से पर्यटन इकाइयों में परिवर्तित विरासत भवनों, महलों, किलों और अन्य पुराने वर्गीकृत भवनों को इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इन इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन/सहिती प्रदान करने हेतु पात्रता का निर्धारण विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा निरीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात किया जायेगा। विशेष श्रेणी के भवन का अंतिम अनुमोदन राज्य स्तरीय विशेष पर्यटन समिति द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- पर्यटन नीति 2022 के तहत पंजीकृत सभी पात्र पर्यटन इकाइयां।

tourism roadmap

पर्यटन रोडमैप

government of **uttar pradesh**

Shabari Waterfall
Chitrakoot



Transform Uttar Pradesh into a Global and Responsible tourism destination while ensuring best visitor experience along with ample opportunities and economic prosperity for all.

सभी के लिए पर्याप्त अवसरों और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ सर्वोत्तम पर्यटन अनुभव सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक स्तर पर और उत्तरदायी पर्यटन स्थल में परिवर्तित करना।



GUIDING PRINCIPLES | मार्गदर्शक सिद्धांत

Suchna (Awareness), Swagat (Welcome), Suvidha (Amenities), Suraksha (Safety), Swachhta (Cleanliness), Sanrachna (Infrastructure) and Sahyog (Support) form the guiding principles for this policy, and intervention roadmap for the policy period.

सूचना, स्वागत, सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, संरचना और सहयोग इस पर्यटन नीति 2022 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और नीति अवधि के लिए उचित रोडमैप तैयार करते हैं।



Guptar Ghat
Ayodhya



MISSION | मिशन

The Government endeavours to achieve the following towards shared prosperity among all strata of tourism stakeholders.

सरकार पर्यटन हितधारकों के सभी स्तरों के बीच साझा समृद्धि की दिशा में निम्नलिखित बिन्दुओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।



1 Tap the tourism potential of the state by introducing new experiential tourism offerings along with world class tourist infrastructure for best tourist experience.

सर्वोत्तम पर्यटन अनुभव हेतु पर्यटकोंचित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ-साथ नए अनुभवात्मक पर्यटन द्वारा राज्य की पर्यटन क्षमता का प्रयोग किया जाएगा।



3 Market & promote new tourism products, events, and the lesser-known destinations of the state globally to attract incremental tourist footfalls.

पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु विश्व स्तर पर नए पर्यटन उत्पादों, घटनाओं और राज्य के कम ज्ञात स्थलों को बाजार के दृष्टिकोण से विकसित करना और बढ़ावा देना।



2 Provide a conducive business environment with investment-friendly processes and policies to encourage and sustain private sector participation.

निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और लाभप्रद बनाए रखने के लिए निवेश-अनुकूल प्रक्रियाओं और नीतियों के साथ एक अनुकूल कारोबारी वातावरण/परिवेश (ईज ऑफ ड्रॉइंग बिजेस) प्रदान किया जाएगा।



4 Undertake tourism specific skill development and capacity building leading to gainful employment or self- employment especially for the local populace.

विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी रोजगार/स्वरोजगार के लिए अग्रणी पर्यटन विशिष्ट कौशल विकास और क्षमता का निर्माण करना।



OBJECTIVES | उद्देश्य

To achieve the mission, the Department has laid down a set of objectives.

मिशन को प्राप्त करने के लिए, पर्यटन विभाग ने उद्देश्यों का एक सेट(प्रारूप) निर्धारित किया है:

1

Develop Focus Tourist Destinations (FTDs) around Uttar Pradesh promoting and developing tourism in lesser-known areas.

उत्तर प्रदेश के आस-पास फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन (FTD) विकसित करना और अज्ञात क्षेत्रों में पर्यटन को समुचित बढ़ावा देना।

2

Build on thematic sectors in Uttar Pradesh incentivising investment and generating employment

उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटन क्षेत्र से सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रों का निर्माण करना।

3

Collaborate between private and public sector players to create a high-quality tourist centric ecosystem.

उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटक केंद्रित इको सिस्टम बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करना।



4

Emphasis on comprehensive development of tourist ecosystem to drive the Government's short-medium and long-term vision for Uttar Pradesh tourism.

उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए सरकार की लघु-मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टि (vision) को चलाने के लिए पर्यटन इको सिस्टम के व्यापक विकास पर जोर देना।

5

Enhance infrastructure and tourism offerings across tourism circuits to drive quality and reach of inbound tourists.

आने वाले पर्यटकों की गुणवत्ता और पहुँच बढ़ाने के लिए पर्यटन सर्किटों में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बढ़ावा देना।

6

Focus on developing destinations to drive growth across divisions/planning areas and serve as flagship pull factors

मण्डलों/योजना क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विकासशील पर्यटन स्थलों पर ध्यान केंद्रित करना और फ्लैगशिप पुल कारकों के रूप में कार्य करना।

7

Develop niche tourism products, including identification of USPs in villages to drive niche tourism products from UP's heartland.

ग्रामीण क्षेत्रों में यूएसपी की पहचान करते हुए विशिष्ट पर्यटन उत्पादों का विकास करना, ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्य क्षेत्रों में छोटे समूह के पर्यटन उत्पादों को विकसित किया जा सके।

8

Target services and tourism supply response driven by customer intelligence data from tourism touchpoints including social media handles, website, and applications.

कस्टमर इंटेलिजेन्स डेटा के माध्यम से पर्यटन टच प्वाइंट, जैसे-सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट और एप्लिकेशन, आदि के द्वारा पर्यटन हेतु उचित सुविधाओं और पर्यटन आपूर्ति को लक्षित करना।

9

Develop new tourism products and services like caravan tourism, water sports, adventure activities etc at lesser-known tourist attractions.

नए पर्यटन उत्पादों और सेवाओं जैसे कारवां पर्यटन, जल क्रीड़ा, साहसिक गतिविधियों आदि को अल्प ज्ञात पर्यटक आकर्षणों पर विकसित/प्रोत्साहित करना।



TARGETS | लक्ष्य

1

Top tourist destination domestically and aim to come on top in terms of foreign tourist arrivals

घरेलू पर्यटन संख्या में वृद्धि करना एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन के सम्बन्ध में शीर्ष (Top) स्थान प्राप्त करना।

2

Attract investments worth INR 20,000 crore.

उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को पर्यटन क्षेत्र में आकर्षित करना।

3

Create 1 million additional jobs in the tourism and hospitality sector.

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 10 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।

4

Achieve sectorial growth of 10% p.a. and share of 15% in GSDP by encouraging Mega Project investments especially in less developed tourism zones with high potential .

10 प्रतिशत प्रति वर्ष की इस क्षेत्र में वृद्धि हासिल करना और विशेष रूप से उच्च क्षमता वाले कम विकसित पर्यटन क्षेत्रों में “मेगा प्रोजेक्ट” निवेश को प्रोत्साहित करके जीएसडीपी में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी को प्राप्त करना।

5

Improve the brand image of Uttar Pradesh in terms of safety and a tourist destination for experiential tourism.

सुरक्षा एवं अनुभवात्मक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की ब्रांड इमेज में सुधार करना।





focus tourist destinations | FTDs

फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स

Uttar Pradesh has a strong intent to valorize and brand certain regions as tourism destinations in the State. Destination development of these regions would entail strategically designed and defined touristic areas with an aim to provide tourists a holistic end to end experience at the tourist place with all customer touch points managed in a streamlined manner.

राज्य में अनेक क्षेत्रों को पर्यटन गंतव्यों के रूप विकसित करते हुए ब्रांड बनाने की उत्तर प्रदेश की प्रबल अभिलाषा है। इन क्षेत्रों के गंतव्य विकास में रणनीतिक रूप से अभिकल्पित और परिभाषित पर्यटन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को पर्यटन स्थल पर एक सुव्यवस्थित अनुभव प्रदान करना है।



17

- a. The Department shall notify a list of Focus Tourism Destinations (FTDs) from time to time for prioritized development to provide an integrated and holistic experience for the tourists.
- b. The Department shall coordinate the development and maintenance of tourism infrastructure facilities (this includes cleanliness, waste management systems, rest areas, parking facility, road signages, information kiosks, last mile connectivity and other public services and amenities) that are crucial for ensuring a memorable experience for tourists.
- c. The Department shall establish "Destination Management Organisations". This would be a decentralised approach of operating and managing such identified destination developments with inclusion of local/regional players/societies in the management of assets.



1. विभाग पर्यटकों को एकीकृत और समग्र अनुभव प्रदान करने के लिए विकास को प्राथमिकता देते हुए समय-समय पर फोकस पर्यटन स्थलों (एफटीडी) की एक सूची अधिसूचित करेगा।
2. विभाग पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास और रखरखाव का समन्वय करेगा (इसमें स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, विश्राम क्षेत्र, पार्किंग सुविधा, सड़क संकेत, सूचना कियोस्क, अंतिम छोर तक करोकिटिविटी और अन्य सार्वजनिक सेवाएं और सुविधाएं शामिल हैं), जो पर्यटकों हेतु यादगार अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
3. विभाग 'गंतव्य प्रबंधन संगठनों (DMO)' की स्थापना करेगा। विभाग द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन में स्थानीय/क्षेत्रीय निवेशकों/संस्थाओं को शामिल करके, ऐसे चिह्नित पर्यटन स्थल के विकास संचालन और प्रबंधन का विकेंद्रीयकरण किया जाएगा।


18

thematic sectors

थीमैटिक सेक्टर्स

The Department will identify and develop thematic areas across Uttar Pradesh to promote niche tourism themes across the State to attract investments and generate employment.

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, विशेष थीम पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदेश के चारों ओर विषयगत क्षेत्र का चिन्हीकरण करते हुए विकसित करेगा, जिससे प्रदेश में अत्यधिक निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।



21. heritage, art & culture

विरासत, कला और संस्कृति

UP's rich culture and heritage would be a key driver further enhancing its strong positioning in this product domestically as well as internationally.

जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, कला और संस्कृति में घरेलू और वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। जो पर्यटन क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख कारक है।

- The Tourism Department shall work with Archaeological Survey of India (ASI), state Archaeology Department, conservation architects and national/international heritage agencies to undertake restoration projects of various underdeveloped potential tourist sites in Uttar Pradesh.
- Proposals shall be formulated on priority to apply for listing other sites of national importance under UNESCO and other world heritage programs by the Joint Committee.
- Identification of sites of significance in each administrative division especially in Bundelkhand, with potential for adaptive reuse to tourism units shall be undertaken.
- The Tourism Department shall work closely with Departments of Information and Public Relations, Archaeology and Museums, Forest, Uttar Pradesh Handicrafts Development and Marketing Corporation, and other relevant agencies to revive and promote the culture and heritage of Uttar Pradesh while protecting its authenticity.
- The Department shall showcase events such as Kumbh Mela, Buddhist Conclave, Yoga conclave and Kumbh on the world stage through targeted marketing and promotional activities, with efforts to enlist other such mega celebrations as intangible world heritage.
- उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग (ASI) तथा अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर प्रदेश में अज्ञात/अविकसित पर्यटन स्थलों के विकास/नवीनीकरण का कार्य करेगा, जिससे राज्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी।
- संयुक्त समिति द्वारा यूनेस्को और अन्य विश्व हेरिटेज कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रीय महत्व के अन्य स्थलों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन हेतु प्राथमिकता पर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
- पर्यटन इकाइयों के अनुकूल पुनः उपयोग की क्षमता वाले प्रत्येक प्रशासनिक मण्डल में विशेष रूप से बुंदेलखण्ड में महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान की जाएगी।
- पर्यटन विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय, वन विभाग, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं विरासत की प्रामाणिकता को बनाये रखते हुए इसे पुनर्जीवित करने एवं बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा।
- उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अन्य माध्यमों जैसे आयोजन, प्रदर्शनी, योग, कला, कुम्भ मेला, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव इत्यादि के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग/प्रमोशन आदि गतिविधियों का संचालन करेगा।



2.2. spiritual | religious tourism

आध्यात्मिक | धार्मिक पर्यटन

The state aims to promote a hassle free serene and spiritual experience to travellers visiting this crucible of religious, spiritual, and academic thought and beliefs.

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आध्यात्मिक/धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेज करेगा, जो कि पर्यटन की रीढ़ समझी जाती है। इसमें आगन्तुकों को तनावमुक्त आध्यात्मिक/धार्मिक परिक्रमा परिक्षेत्र का भ्रमण सुविधाजनक और व्यवस्थित कराया जाएगा, ताकि किसी भी आगन्तुक को परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश अपने सनातन धर्म में विश्वास रखते हुए 'अतिथि देवो भवः' कथन को चरितार्थ करेगा।

- a. Analysis of demand and supply statistics shall be undertaken for the developed circuits- Ramayana, Buddhist, Krishna and Sufi etc. Based on the assessment, support would be extended for setting up and enhancing the civic amenities and facilities available at religious tourist destinations.
 - b. Focus shall be placed on interconnecting the state circuits with national and international travel itineraries created across Hinduism, Jainism, Buddhism and Sufism.
 - c. Availability and quality of accommodation facilities across budget preferences shall be facilitated at spiritual tourism destinations. The state shall proactively promote tour packages to encourage large format pilgrimage tourism towards building a sizeable market within a brief period.
1. विकसित सर्किट- रामायण, बौद्ध, कृष्ण और सूफी आदि के लिए मांग और आपूर्ति के अंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर 'धार्मिक पर्यटन' स्थलों पर नागरिक सुविधाओं की स्थापना और वृद्धि के लिए समर्थन दिया जाएगा।
 2. हिंदू, जैन, बौद्ध और सूफीगाद में निर्मित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रमों के साथ राज्य सर्किटों को आपस में जोड़ने(Connect) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
 3. आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों पर बजट प्राथमिकताओं में आवास सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे देशी-विदेशी पर्यटकों को समस्त नागरिक सुविधाएं प्राप्त हों, तीर्थ पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 'टूर पैकेजों' को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जायेगा।



2.3. eco, nature & wildlife

ईको, नेचर, एण्ड वाइल्डलाइफ

The state is home to dense forests and abundance of natural assets that can be leveraged through planned, sustainable, and responsible tourism initiatives.

पारिस्थितिक, प्राकृतिक, अभ्यारण्य आदि के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत धनी प्रदेश है। सघन जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में अलग स्थिति प्रदान करती है, जो पर्यावरण के सतत विकास को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभा सकता है।

- a. The Eco-Tourism Board will jointly develop and market the ecological destinations and strategize further through the extant MoU executed for development of eco-tourism sites
 - b. Facilities shall be developed in a planned manner with a focus on conservation and green practices including a focus on responsible tourism.
 - c. The proposed eco-tourism activities/development shall be in accordance with the provisions of the environmental law/act of the centre/state, especially in conformance the Wildlife (Protection) Act, 1972 and the Forest (Conservation) Act, 1980 and various other directives issued by the Government ever so often.
1. ईको टूरिज्म बोर्ड एक साझा मंच के तहत ऐसी रणनीति बनाएगा जो 'ईको टूरिज्म' को एक बाजार के रूप में विकसित करेगा, जिससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
 2. विभाग द्वारा जिम्मेदार पर्यटन (Responsible Tourism) पर ध्यान देने सहित संरक्षण और हरित प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सुविधाओं को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
 3. केन्द्र और राज्य के पर्यावरण अधिनियम के अन्तर्गत 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972' और 'वन-सुरक्षा अधिनियम 1980' एवं समय-समय पर सरकार द्वारा प्रदान किये गये विभिन्न निर्देशों के तहत ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।



2.4. wellness and medical tourism

वेलनेस और मेडिकल ट्रूरिज्म

The state is a magnet for spiritual tourism, making it an apt destination for wellness tourism as an extension. Yoga, Ayurveda, and other wellness practices will be focussed upon and promoted as lifestyle enhancement techniques to gain national and international attention.

उत्तर प्रदेश राज्य एक वेलनेस पर्यटन गंतव्य स्थल का विकास करेगा, जो योग, आयुर्वेद, तथा अन्य स्वास्थ्यवर्द्धक पर्यटन स्थल को चिन्हित करेगा। जहां आध्यात्म पर्यटन के क्षेत्रों को एकीकृत प्रणाली के अन्तर्गत विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

- a. The State shall aim to integrate Wellness with Spiritual Tourism, where in world class Wellness centres can be developed in Spiritual Areas of Uttar Pradesh like Sarnath, Shravasti, Kapilavastu, Varanasi (along the river Ganga), Mathura (Vrindavan) where prior emphasis has been on Spiritualism
- b. An International Yoga Conclave shall be organised on an annual basis to draw more traffic and position Uttar Pradesh as a wellness tourist destination.
- c. The Department shall facilitate the development of wellness centres in ecological areas would not only attract attention of tourists, but also provide experiential tourism
- d. The department shall identify potential nationalities visiting Uttar Pradesh for Medical Tourism across the state and create a targeted marketing and promotion plan.
- e. Shall facilitate the creation of an ecosystem of facilitators and tourism service providers in the medical tourism space to attract more tourists for medical procedures in addition to spiritual, yoga and ayurveda services.



1. राज्य आध्यात्मिक पर्यटन के साथ वेलनेस पर्यटन को एकीकृत करने का लक्ष्य रखेगा, प्रदेश के आध्यात्मिक क्षेत्रों जैसे- सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वाराणसी (गंगा नदी संलग्न क्षेत्र), मथुरा (वृन्दावन), में विश्व स्तरीय स्वास्थ्यवर्द्धक पर्यटन इकाइयों/केन्द्रों को विकसित कर बढ़ावा दिया जाएगा।
2. अत्यधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्यवर्द्धक पर्यटन गंतव्य स्थल (वेलनेस ट्रूरिज्म डेस्टिनेशन) के रूप में स्थापित करने के लिए वार्षिक आधार पर एक 'अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन' आयोजित किया जाएगा।
3. विभाग पारिस्थितिक क्षेत्रों में वेलनेस केन्द्रों के विकास की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे न केवल पर्यटकों का ध्यान आकर्षित होगा, बल्कि अनुभवात्मक पर्यटन का अनुभव भी प्राप्त होगा।
4. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पूरे राज्य में चिकित्सा पर्यटन के लिए प्रदेश में आने वाले संभावित राष्ट्रीयताओं की पहचान करेगा और एक लक्षित विषयन और प्रचार योजना तैयार करेगा।
5. आध्यात्मिक, योग और आयुर्वेद सेवाओं के साथ-साथ चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में फैसिलिटेटर्स (सुविधाजनक) और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा।



2.5. meeting, incentive, conferences & exhibitions | MICE

बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां | माइस

MICE is a growing segment of the tourism sector and overtaking the traditional business trips segment shall bring in high-spending tourists to boost the local economy.

एमआईसीई को पर्यटन क्षेत्र में उभरते हुए आयामों के रूप में देखा जा सकता है, जो कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन अर्थव्यवस्था के बूस्टर के रूप में कार्य करेगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को आकर्षित करेगा।

- a. Suitable locations like Agra and Ghaziabad, for setting up state-of- the-art conventional centres supported by an events ecosystem shall be identified to build UP as an attractive destination for tourists and businesses
 - b. Special emphasis shall be placed on attracting international and national level multilateral meetings/mega expos- tions/events to the state across sectors.
 - c. The department shall help entrepreneurs collaborate with hotel and transport associations of State to enhance the viability of MICE projects. Tour operators and travel agencies shall be encouraged to promote customized travel tours and packages along with MICE events as pre-event or post-event leisure activities.
1. उत्तर प्रदेश को पर्यटकों और व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए इवेंट इकोसिस्टम द्वारा समर्थित अत्याधुनिक पारंपरिक केंद्रों (Convention Centers) की स्थापना के लिए आगरा और गाजियाबाद जैसे उपयुक्त स्थानों को चिह्नित किया जाएगा।
 2. राज्य में सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बहुपक्षीय बैठकों/मेगा प्रस्तुतिकरण/प्रदर्शनी/आयोजन को आकर्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा।
 3. पर्यटन विभाग एमआईसीई परियोजनाओं की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए उद्यमियों को राज्य के होटलों और परिवहन संघों के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंसियों को प्री-इवेंट या पोस्ट-इवेंट गतिविधियों के रूप में एमआईसीई कार्यक्रमों के साथ-साथ अनुकूलित यात्रा पर्यटन और पैकेज को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।



Visitors
During The Annual Bird Festival



Ballon Festival



F1 Circuit
in Gautam Buddha Nagar

2.6. adventure tourism

एडवेंचर पर्यटन

Uttar Pradesh's unique topography conducive to the development of Adventure Tourism, especially in areas like Bundelkhand, Sonbhadra, Chitrakoot and Ramgarh Tal offers a unique adventure value proposition, which can be adopted in other parts of the state.

पर्यटन विभाग प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत ऐसे साहसिक पर्यटन केन्द्र विकसित करेगा जो प्रदेश की पर्यटन क्षमता को अद्वितीय स्थान प्रदान करेगा। बुंदेलखण्ड, सोनभद्र, चित्रकूट, और रामगढ़ ताल, 'एडवेंचर पर्यटन' के उपयुक्त स्थल हैं।

- a. Potential adventure hubs such as Banaras, Bundelkhand, Ramgarh, Chitrakoot, Chambal, Deogarh and Sonbhadra shall be identified and developed as camping/trek sites and for adventure activities including ziplines, ropewalks, treks, rock climbing, cave exploration, etc.
 - b. Adventure Tourism Board shall be formed to promote new tourism products and ensure safety and accreditation standards.
 - c. The Department shall conduct and invite adventure tourism events to bring tourists to sites with an adventure potential.
 - d. Adventure tourism operators of global repute shall be invited and assisted to set up activities in sites that offer a picturesque landscape.
1. बनारस, बुंदेलखण्ड, रामगढ़, चित्रकूट, चंबल, देवगढ़ और सोनभद्र जैसे संभावित साहसिक केंद्रों की पहचान की जाएगी और कैंपिंग/ट्रेक साइटों के रूप में विकसित किया जाएगा तथा जिपलाइन, रोपवॉक, ट्रेक, रॉक क्लाइम्बिंग, गुफा अन्वेषण आदि सहित साहसिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा।
 2. नए पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने और सुरक्षा और मान्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए 'साहसिक पर्यटन बोर्ड' का गठन किया जाएगा।
 3. पर्यटन विभाग साहसिक पर्यटन कार्यक्रम आयोजित करेगा जिससे पर्यटकों को साहसिक संभावनाओं वाले स्थलों पर लाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
 4. वैशिक ख्याति के साहसिक पर्यटन संचालकों को आमंत्रित किया जाएगा तथा उन स्थलों में गतिविधियों को स्थापित करने में सहायता की जाएगी जो एक सुरम्य एवं मनोरम परिदृश्य पेश करते हैं।

2.7. water based activities

जल आधारित गतिविधियाँ

The State is blessed with unique assets in the form of expansive and picturesque rivers, catchment areas and ghats conducive to development of inland water and cruise-based tourism. Emphasis would be laid on development of cruise-based tourism products especially in the luxury segment.

अंतर्देशीय जल और कूज-आधारित पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल विस्तृत और सुरम्य नदियों, जलग्रहण क्षेत्रों और घाटों के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य अद्वितीय संपत्ति से धन्य है। लक्जरी सेगमेंट में विशेष रूप से कूज आधारित पर्यटन उत्पादों के विकास पर जोर दिया जाएगा।

- a. Collaborations with the private sector and Inland Waterways Authority of India (IWAI) shall be undertaken to facilitate development of new vessels including cruises, house boats, yachts, floating restaurants, low floor boats, etc in areas conducive for water-based tourism such as Varanasi and Chitrakoot.
- b. Focus shall be placed on development and upgradation of necessary land and water-based infrastructure including jetties, marinas, etc to catalyse water-based tourism products through PPP mode.
1. पर्यटन विभाग की साझा पहल के तहत 'अंतर्देशीय जलमार्ग प्रधिकरण (IWAI)' और निजी प्रयासों का साझा मंच कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत विकास की नई गाथा पर्यटन क्षेत्र में लिखी जाएगी। मुख्यतः वारणसी और चित्रकूट जैसे क्षेत्रों में कूज, हाउस बोट, नौकाएं, तैरते हुए रेस्तरां, लो फ्लोर बोट इत्यादि के माध्यम से 'वाटर बेज्ड ट्रिप्स' को संवारा जाएगा।
2. पीपीपी मोड के माध्यम से जल आधारित पर्यटन उत्पादों को उत्प्रेरित करने के लिए जेटी, मरीना आदि सहित आवश्यक भूमि और जल आधारित बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Fireworks in the background of Cruise
Kashi



2.8. rural | village | tribal based tourism

ग्रामीण | गांव | ट्राइब आधारित पर्यटन

Rural Tourism initiatives would focus on allowing the tourist to actively participate in rural settings while ensuring lodging and boarding. Villages with core strength in handlooms, handicrafts, etc. can be developed with a view to facilitate income to producers, preserving craft and offer an offbeat experience to tourists.

ग्रामीण आबादी को आच्छादित करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास को नया रूप देते हुए स्थानीय कलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ये अपनी संस्कृति को देश-विदेश में एक अलग पहचान दिला सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और बोर्डिंग सुनिश्चित करते हुए पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हथकरघा, हस्तशिल्प आदि में कुशल गांवों को विकसित किया जा सकता है, ताकि उत्पादकों को आय की सुविधा मिल सके, शिल्प को संरक्षित किया जा सके और पर्यटकों को एक नवीन अनुभव प्रदान किया जा सके।

- a. Village tourism hubs shall be declared within short driving distance of inbound tourist arrival points such as Agra, Varanasi, Lucknow, Ayodhya and Prayagraj.
- b. The Department shall identify stakeholders who specialize in rural tourism apart from accommodation providers such as hotel, B&B, farm Stay owners and tourist guides.
- c. The process of identification of rural tourism clusters shall be done to create 75 model themed tourism villages across the state which may form part of a rural tourism cluster.
- d. Local entrepreneurship avenues shall be facilitated to generate employment in the remote areas and shall help low-income groups earn additional income.
 1. आगरा, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज जैसे इन बाउंड पर्यटक आगमन बिंदुओं से कम दूरी के भीतर ग्राम पर्यटन स्थल केंद्र घोषित किए जाएंगे।
 2. विभाग होटल, बी एण्ड बी, फार्म स्टे मालिकों और पर्यटक गाइड जैसे आवास प्रदाताओं के अलावा ग्रामीण पर्यटन में विशेषज्ञता रखने वाले हितधारकों की पहचान करेगा।
 3. राज्य भर में '75 मॉडल थीम' वाले पर्यटन गांवों को बनाने के लिए ग्रामीण पर्यटन समूहों की पहचान की जाएगी जो ग्रामीण पर्यटन 'वलस्टर' का हिस्सा बन सकते हैं।
 4. दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए स्थानीय उद्यमशीलता के रास्ते सुगम/आसान किए जाएंगे जिससे कम आय वाले समूहों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी।



2.9. agri tourism

कृषि आधारित पर्यटन

"Agri Tourism" is a form of niche tourism that includes active involvement in agriculture-based operation such as guided tours, knowledge sessions, animal rides and local cuisine.

'कृषि पर्यटन' पर्यटन का एक विशिष्ट रूप है जिसमें कृषि-आधारित गतिविधयां जैसे निर्देशित पर्यटन(गाइडेड ट्रू), ज्ञान सत्र, पशु सवारी और स्थानीय व्यंजन आदि की सक्रिय भागीदारी शामिल है।



2.10. cuisine tourism

व्यंजन पर्यटन

Culinary tourism is an important branch of tourism that promotes local businesses and shines a light on different cuisines. Culinary tourism helps in attracting interested tourists boosting community pride.

'पाक पर्यटन (Cuisine Tourism)' पर्यटन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देती है और विभिन्न स्थानीय व्यंजनों पर प्रकाश डालती है। पाक पर्यटन, व्यंजनों में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करेगा, जिससे पर्यटक विभिन्न भारतीय व्यंजनों के बारे में जान सकेंगे और उनका आनन्द ले सकेंगे।

- a. Development and promotion of the gourmet trails of Uttar Pradesh to showcase the rich culinary heritage of the State.
 - b. Shall plan an annual event attracting domestic and international tourists to taste and dine the different palates of the districts of Uttar Pradesh.
 - c. Shall promote research in and documentation of culinary traditions by IHM, IIM, MKITM and other institutes etc.
1. राज्य की समृद्ध पाक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरमे ट्रेल्स (Gourmet Trail) का विकास और प्रचार किया जाएगा।
 2. उत्तर प्रदेश के जिलों के विभिन्न स्वादों को चखने और खाने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एक वार्षिक कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी।
 3. IHM, IIM, MKITM और अन्य संस्थानों आदि द्वारा पाक Cuisine परंपराओं में अनुसंधान और प्रलेखन को बढ़ावा दिया जाएगा।



2.11. wedding destination tourism

विवाह स्थल पर्यटन | WDT

Uttar Pradesh has the top tourism draw of India, easily recognized world over. With the Taj Mahal, an epitome of love within the State, the Department aims to develop wedding tourism as a niche product in its policy.

उत्तर प्रदेश भारत में पर्यटन का शीर्ष आकर्षण केन्द्र है, जिसे दुनिया भर में पहचाना जाता है। राज्य के भीतर प्रेम के प्रतीक के रूप में स्थापित 'ताजमहल' के साथ, पर्यटन विभाग का लक्ष्य विवाह स्थल पर्यटन (Wedding Destination Tourism) को नवीन पर्यटन नीति में एक विशिष्ट उत्पाद के रूप में विकसित करना है।

- a. Identification of Wedding Tourism destinations to be listed in an online inventory system to aid wedding planners and event management firms.
- b. Palatial/Heritage properties and gardens in government undertaking to be offered for hosting events. Incentives shall be decided by the Department to aid grand marriages taking place in heritage properties.
1. वेडिंग प्लानर्स और इवेंट मैनेजमेंट फर्मों की सहायता के लिए ऑनलाइन इन्वेंट्री सिस्टम में वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशंस (वैवाहिक पर्यटन स्थल) को सूचीबद्ध किया जाएगा।
2. वैवाहिक पर्यटन सम्बन्धी आयोजनों की मेजबानी के लिए महलनुमा/विरासत संपत्तियां और उद्यान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। हेरिटेज संपत्तियों में होने वाले भव्य विवाहों की सहायता के लिए विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि तय की जाएगी।



image source: © google

2.12. youth (yuva) tourism

युवा पर्यटन

Youth tourism clubs have been identified as a means for inculcating responsible and sustainable tourism in the state to develop a deeper understanding of UP and by extension Indian culture and heritage.

उत्तर प्रदेश के युवाओं में प्रदेश की गहरी समझ विकसित करने और भारतीय संस्कृति और विरासत के विस्तार के लिए राज्य में उत्तरदायी और स्थायी पर्यटन को विकसित करने के लिए 'युवा पर्यटन क्लबो' को विकसित किया जाएगा।

- a. The Department shall engage with schools and colleges to facilitate educational, recreational, and responsible trips in the state.
- b. Youth wings shall also be engaged to become a part of youth clubs and promote youth tourism in the State.
 1. पर्यटन विभाग राज्य में शैक्षिक, मनोरंजक और उत्तरदायी यात्राओं की सुविधा के लिए स्कूलों और कॉलेजों को साथ मिलकर पर्यटन का विकास करेगा।
 2. युवा मंडलों (Youth Wings) को युवा क्लबों का हिस्सा बनाकर राज्य में युवा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।





mega circuits and enhancement of present offerings


मेगा सर्किट और वर्तमान पेशकशों | ऑफरों में वृद्धि

Uttar Pradesh is one of the most preferred states in the country due to the presence of a unique bouquet of tourist attractions. Taking advantage of existing tourism products including the creation of mega circuits, the Government has presently developed 12 mega circuits as given below.

पर्यटकों के आकर्षण हेतु उत्तर प्रदेश अपने नवीन अनुभवों को एक गुलदस्ते के रूप में संजोए हुए हैं। जिसकी उपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश, देश के सबसे पसंदीदा राज्यों में से एक है। मेगा सर्किट के निर्माण के साथ मौजूदा पर्यटन उत्पादों का लाभ उठाने हेतु सरकार ने वर्तमान में निम्नलिखित 12 मेगा सर्किट विकसित किए हैं:



Kushinagar




Stone Sculptures
on the Walls of Dashavatara Temple

1. Ramayana Circuit | रामायण सर्किट

Ayodhya, Bithoor (Kanpur), Bijethua Mahaviran (Sultanpur), Chitrakoot, Shringverpur and Others.

अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, बिजेथुआ महावीरन (सुलतानपुर), बिठूर (कानपुर) व अन्य।



Ascetic in Mudra Pose
on the Ghats of Ayodhya





2. Krishna-Braj Circuit | कृष्ण-ब्रज सर्किट

Baldev Mandir (Mathura), Mahaban (Mathura), Vrindavan, Nandgaon, Barsana, Govardhan, Gokul and Others.

मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नन्दगांव, बलदेव मन्दिर (मथुरा), महावन (मथुरा) व अन्य स्थल (ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा चिह्नित)।





3. Buddhist Circuit | बुद्धिस्त सर्किट

Kapilavastu, Shravasti, Atranji Khera (Etah), Sankisa, Kaushambi, Sarnath, Kushinagar, Devdeh (Maharajganj) and others.

कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा, अतरंजी-खेड़ा (एटा), देवदह (महाराजगंज), रामग्राम (महाराजगंज), अहिच्छत्र (बरेली) व अन्य।

4. Mahabharata Circuit | महाभारत सर्किट


Hastinapur, Ahichchhatra, Gonda, Keechakvad Sthal, Raath (Hamirpur), Handia, Prayagraj, Lakshagraha Handia (Prayagraj), Mathura, Kampilya (Farukkhabad), Barnava (Baghpat), Kaushambi, VidhurKuti (Bijnor) and Others.

हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अहिच्छत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोण्डा, लाक्षागृह, हण्डिया (प्रयागराज), कीचकवध स्थल राठ (हमीरपुर) तथा विदुर कुटी (बिजनौर) व अन्य।




5. Shakti Peeth Circuit | शक्तिपीठ सर्किट

Vindhayasini Devi (Vindhachal), Jwala Devi (Sonbhadra), Sita Samahit Sthal (Bhadoli), Lalita Devi (Prayagraj), Alopi Devi (Prayagraj), Kadavasini (Kaushambi) (Repeat), Shivani Devi (Chitrakoot) (Repeat), Gayatri Shakyipeeth (Sumerpur), Pateshwari Devi Devipatan (Balrampur), Lalita Devi (Naimisharanya), Shakumbhari Devi (Saharanpur), Katyayini Devi (Mathura) (Repeat), Sheetala Chaukia Dham (Jaunpur), Vishalakshi Devi (Varanasi), Belha Devi (Hamirpur), Bairagarh Mata, Konch (Jalaun), Chandika Devi, Buxar (Unnao), Kushmanda Devi, Ghatampur (Kanpur Dehat), Devkali Mandir (Auraiya), Maa Tarkulha Devi Dham (Gorakhpur), Maa Sheetla Mata Sthal (Mau) and Others.



6. Adhyatmik Circuit | आध्यात्मिक सर्किट

Gorakhpur, Balrampur, Ghazipur (Hathiyaram, Bhudkura), Goriya (Mathura) Sant Ravidas Sthal, Mauni Baba, Chochakpur (Ghazipur), Pavhari Baba Ashram (Ghazipur), Kinaraam Ashram (Chandauli), Triveni Sangam (Prayagraj), Bhardwaj Ashram (Prayagraj), Ghuisarnath Dhaam (Pratapgarh), Bhrigu Rishi Ashram (Fatehpur), Vyaaspeeth Kalpi (Jalaun), Gola Gokarn Nath (Lakhimpur Kheri), Maa Parmeshwari Devi (Azamgarh), Bhrigu Ashram Baleshwar (Ballia), Dugdheswar Shiv Sthal (Deoria), Makhauda Dhaam (Basti), Shiv Mandir Shrankhla, Bateshwar (Agra), Soron Ashram (Kasganj), Sheetla Mata Mandir (Mainpuri), Hanumat Dham (Shahjahanpur), Hanuman Mandir (Shamli) and Others.



विन्ध्यासिनी देवी, अष्टमुजा, काली खोह विन्ध्याचल, पाटेश्वरी देवी देवीपाटन (बलरामपुर), कडावासिनी (कौशाम्बी), ललिता देवी (नैमिषारण्य), ज्याला देवी (सोनभद्र), शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर), शिवानी देवी (चित्रकूट), कात्यायिनी देवी (मथुरा), शीतला चौकिया धाम (जौनपुर), सीता समाहित स्थल (भदोही), अलोपी देवी, ललिता देवी, (प्रयागराज), विशालाक्षी देवी (वाराणसी), बेल्हादेवी, गायत्री शक्ति पीठ (सुमेरपुर), बैरागढ माता, कौंच (जलौन), चंडिका देवी, बक्सर (उन्नाव), कुष्माण्डा देवी घाटमपुर (कानपुर देहात), देवकली मंदिर (ओरेया), माँ तरकुलहा देवी धाम (गोरखपुर), माँ शीतला माता स्थल (मऊ) व अन्य।

गोरखपुर, बलरामपुर, गाजीपुर-हथियाराम भरकुरा, गोरिया मथुरा, संतरविदास स्थल, मौनी बाबा चोचकपुर, पवहारी बाबा आश्रम (गाजीपुर), कीनाराम आश्रम (चंदौली), त्रिवेणी संगम, भारद्वाज आश्रम (प्रयागराज), घुइसरनाथ धाम (प्रतापगढ़), भृगु ऋषि आश्रम (फतेहपुर), व्यासपीठ कालपी (जालौन), गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर खीरी), माँ परमेश्वरी देवी (आजमगढ़), भृगु आश्रम बालेश्वर (बलिया), दुधेश्वर शिव स्थल (देवरिया), मखौड़ा धाम (बस्ती), शिव मंदिर शृंखला, बटेश्वर (आगरा), सोरों आश्रम (कासगंज), शीतला माता मंदिर (मैनपुरी), हनुमत धाम (शाहजहाँपुर), हनुमान मंदिर (शामली) व अन्य।

7. Sufi-Kabir Circuit | सूफी-कबीर सर्किट

Jayas (Amethi), Maghar (Sant Kabir Nagar), Salim Chishti Dargah (Fatehpur Sikri), Dewa Sharif (Barabanki), Dargah Marehra Sharif (Etah), Dargah Sufi Shah Sharif (Firozabad), Dargah Shafi Shah Sharif (Firozabad), Lahartara Ashram Kabir Janam Sthali (Varanasi), Khanqah-e-Niyazia (Bareilly), Kichhauchha Sharif (Ambedkarnagar) and Others.

जायस अमेठी, मग्हर संतकबीरनगर, सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सीकरी, देवा शरीफ बाराबंकी, दरगाह मारहरा शरीफ (एटा), दरगाह सूफी शाह शरीफ, दरगाह शफी शाह शरीफ (फिरोजाबाद), लहरतारा आश्रम, (कबीर जन्म स्थल वाराणसी), खानकाह-ए-नियाजिया (बरेली), किछौछा शरीफ (अम्बेडकर नगर) अमरोहा, बदाँयू व अन्य।



Dewa Sharif
Barabanki



Marsalganj Jain Temple
Firozabad



Mahavir Digamber Jain Temple
Firozabad




Jain Temple
Lalitpur

8. Jain Circuit | जैन सर्किट

Deogarh, Hastinapur, Vahelna (Muzaffarnagar), Baghpat, Bateshwar, Kampil (Farrukhabad), Parshwanath (Varanasi), Shreyansanatha (Varanasi), Suparshvanatha (Varanasi), Chandraprabhu (Varanasi), Chandravar Jain Mandir (Firozabad), Bahubali Jain Mandir (Firozabad), Mangalayatan Jain Mandir (Hathras), Ahikshetra Parshwanath Digambar Jain Mandir (Ramnagar) and Others.

देवगढ़, हस्तिनापुर, वेहलना (मुजफ्फरनगर), बड़ौत (बागपत), बटेश्वर (आगरा), काम्पिल्य (फरुखाबाद), पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ मंदिर (वाराणसी), चन्द्रवार जैन मंदिर, बाहुबली जैन मंदिर (फिरोजाबाद) मंगलायतन जैन मंदिर, (हाथरस), अहिछत्र पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर (रामनगर) व अन्य।



10. Wildlife & Eco Tourism Circuit | वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट

Dudhwa National Park, Pilibhit Tiger Reserve, Bakhira Sanctuary, Chandra Prabha Wildlife Sanctuary, Hastinapur Wildlife Sanctuary, Kaimoor Wildlife Sanctuary, Katarniaghata Wildlife Sanctuary, Kishanpur Wildlife Sanctuary, Lakh Bahosi Sanctuary, Mahavir Swami Wildlife Sanctuary, National Chambal Wildlife Sanctuary, Nawabganj Bird Sanctuary, Parvati Arga Bird Sanctuary, Patna Bird Sanctuary, Ranipur Sanctuary, Saman Sanctuary, Samaspur Sanctuary, Sandi Bird Sanctuary, Sohagi Barwa Sanctuary, Suhelwa Wildlife Sanctuary, Suraha Tal Sanctuary, Vijay Sagar Sanctuary, Shekha Jheel Aligarh, Sur Sarovar Pakshi Vihar, Agra, Amangarh Tiger Reserve, (Bijnor), Blackbuck Conservation Reserve, Meja (Prayagraj), Lion Safari Park (Etawah) and others .



दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, कर्तनिया घाट (बहराइच), ब्लैकबक कंजर्वेशन रिजर्व मेजा प्रयागराज, लायन सफारी पार्क (इटावा), बखीरा सैंकचुअरी, चन्द्रा प्रभा वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, कैमूर सैंकचुअरी, कर्तनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, लाख बहोसी सैंकचुअरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, नेशनल चम्बल वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, नवाबगंज बर्ड सैंकचुअरी, पार्वती अरंगा बर्ड सैंकचुअरी, पटना बर्ड सैंकचुअरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, समन सैंकचुअरी, समसपुर सैंकचुअरी, साण्डी बर्ड सैंकचुअरी, सोहागीबरवा सैंकचुअरी, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी, सुरहाताल सैंकचुअरी, विजयसागर सैंकचुअरी, सेखा झील अलीगढ़, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा व अन्य स्थल जो उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म बोर्ड द्वारा सम्मिलित किये जायें।

9. Bundelkhand Circuit | बुन्देलखण्ड सर्किट

Charkhari (Mahoba), Chitrakoot, Kalinjar, Jhansi, Lalitpur, Deogarh, Banda, Hamirpur, Jalaun and Others.

चरखारी, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन व अन्य।

11. Craft Circuit | क्राफ्ट सर्किट

Marble Inlay and Zardozi (Agra), Glass Craft (Firozabad), Glass beads Craft, Purdil Nagar (Hathras), Tarkashi Craft (Mainpuri), Brass Craft (Moradabad), Brass Craft and Tala (Aligarh), Wooden Craft (Saharanpur), Muda Craft (Hapur), Hathkargha Pilkhwa (Hapur), Banarasi Saree (Varanasi), Gulabi Meenakari (Varanasi), Wooden Toys (Varanasi), Stone Carving (Varanasi), Zari work (Jaunpur), Brass Utensils (Mirzapur), Pottery Udyog (Chunar), Brass Craft, Jakhora (Lalitpur), Brass Craft, Amra (Jhansi), Silverfish Craft, Maudaha (Hamirpur), Shazar Stone Craft (Banda), Paper Craft, Kalpi (Jalaun), Glazed Pottery (Rampur), Carpet Craft (Amroha), Khurja Pottery (Bulandshahr), Carpet Craft (Sambhal), Terracotta (Gorakhpur) and Others.



मार्बल इनले एवं जरदोजी (आगरा), ग्लास क्राफ्ट (फिरोजाबाद), ग्लासबीड्स क्राफ्ट, पुर्दिल नगर मेटल वर्क, वायंत्र (हाथरस), तारकशी क्राफ्ट (मैनपुरी), पीतल क्राफ्ट (मुरादाबाद), पीतल क्राफ्ट एवं ताला (अलीगढ़), वुडेन क्राफ्ट (सहारनपुर), मूढ़ा क्राफ्ट (हापुड़), हथकरघा, पिलखुवा (हापुड़), बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, स्टोन कारविंग (वाराणसी), जरी-वर्क (जौनपुर), पीतल के बर्तन (मिर्जापुर), पॉटरी उद्योग (चुनार), पीतल क्राफ्ट जखौरा (ललितपुर), पीतल क्राफ्ट अमरा (झाँसी), सिलवरफिश क्राफ्ट मौदहा (हमीरपुर), शजर पत्थर क्राफ्ट (बांदा), पेपर क्राफ्ट कालपी (जालौन), ग्लैज्ड पॉटरी (रामपुर), कालीन क्राफ्ट (अमरोहा), खुरजा पोटरी (बुलन्दशहर), कालीन क्राफ्ट (समल), टेरा-कोटा (गोरखपुर) व अन्य ओ.डी.ओ.पी. (एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित क्राफ्ट निर्माण केन्द्र)।



12. Swatantrata Sangram Circuit | स्वतंत्रता संग्राम सर्किट

Meerut, Shahjahanpur, Kakori, Bawan Imli (Fatehpur), Chauri-Chaura (Gorakhpur), Mahua Dabur (Basti) and Others.
मेरठ, शाहजहाँपुर, काकोरी, बावन इमली (फतेहपुर), चौरी-चौरा (गोरखपुर), महुआ डाबर (बस्ती) व अन्य।

Those units within 20 kms of the sites mentioned in the tourism circuits will be entitled for Capital and Interest subsidy as per Policy Guidelines.

पर्यटन सर्किट में उल्लिखित स्थलों के 20 किलोमीटर (हवाई दूरी) के भीतर की इकाइयां पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।



Residency
Lucknow

Among the 12 Circuits, Bundelkhand will have large focus on adventure tourism, Heritage tourism and wildlife circuit and will have Eco and Nature tourism as the prime focus. Going forward department will promote the circuits but not limit incentives and investments within these circuits.



Ayodhya Deepotsav
Ayodhya

note | नोट

In addition to the above circuits, other places (tourism destinations) in the State which are unserved destinations will also be able to get all the permissible benefits under the Tourism Policy 2022. The list of such unserved destinations/districts will be published by the department from time to time on the departmental website.

उपरोक्त परिभाषित व चिह्नित सर्किटों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य ऐसे पर्यटन स्थल जो कि पर्यटन सुविधाओं, आतिथ्य सत्कार इकाइयों से अप्रयुक्त/अनुपयोगी गंतव्य (UnServed Destination) हैं, वे भी नीति के अंतर्गत सभी अनुमत्य लाभ नियमानुसार प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे अप्रयुक्त/अनुपयोगी गंतव्य तथा उपरोक्त सर्किटों में शामिल किये जाने हेतु नवीन स्थलों/जनपदों की सूची विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित की जायेगी।

eligible tourism units

पात्र पर्यटन इकाइयां

Eligible Tourism units refers to the list of tourism units identified by the Department of Tourism that shall be prioritized for development in Uttar Pradesh during the policy period. The Eligible tourism units identified below shall be eligible for incentives, subsidies and concessions under the Policy. The definitions and specifications for the Tourism units shall be as per the guidelines and related notifications issued by the department from time to time.

पात्र पर्यटन इकाइयों का तात्पर्य पर्यटन विभाग द्वारा चिह्नित पर्यटन इकाइयों की सूची से है, जिन्हें नीति अयोधि के दौरान प्रदेश में विकास के लिए प्राथमिकता दी जायेगी। निम्नलिखित चिह्नित पात्र पर्यटन इकाइयां नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन, अनुदान एवं रियायतों की पात्र होंगी। पर्यटन इकाइयों के लिए परिभाषाएँ एवं विशिष्टताएँ विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार होंगी।

4.1. adventure tourism project साहस्रिक पर्यटन परियोजना

Involves exploration or travel with perceived (and possibly actual) risk, and potentially requiring specialized skills and activities. Adventure Tourism activities may be classified under below mentioned three categories:

साहस्रिक पर्यटन परियोजना में कथित (और संभवतः वास्तविक) जोखिम के साथ अन्वेषण, यात्रा तथा गतिविधियां होती हैं, जिनके लिये संभावित रूप से विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। साहस्रिक पर्यटन गतिविधियों को निम्न उल्लिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

- a. Land-Based Adventure Tourism – ATV Tours, Bungee Jumping, Cycling Tours, Jeep Safaris, Motorcycle tours, Mountaineering, Nature Walks/Bird Watching, Rock Climbing/Artificial Wall climbing, Segway tours, Trekking, Wildlife Safaris, Zip Wires and High ropes courses, etc.
 - b. Water-Based Adventure Tourism – Kayaking, Rafting, River Cruising, Water sports centers, etc.
 - c. Air-Based Adventure Tourism – Hot air ballooning, Paragliding, Sky diving, etc.
1. भूमि आधारित साहस्रिक पर्यटन - एटीवी टूर, बंजी जंपिंग, साइकिलिंग टूर, जीप सफारी, मोटरसाइकिल टूर, पर्वतारोहण, नेचर वॉक/बर्ड वाचिंग, रॉक क्लाइंबिंग/कृत्रिम दीवार पर चढ़ना, सेगवे टूर, ट्रैकिंग, वाइल्डलाइफ सफारी, जिप वायर और हाई रोप कोर्स आदि।
 2. जल आधारित साहस्रिक पर्यटन - कयाकिंग, राफिंग, रिवर क्रूजिंग, जल क्रीड़ा केंद्र आदि।
 3. वायु आधारित साहस्रिक पर्यटन - हॉट एयर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कार्फ डाइविंग आदि।

4.2. all-weather | seasonal camps सर्वऋतु | मौसमी अस्थायी शिविर

Temporary tented accommodation capacity for at least 8 persons. There should be a minimum of 4 camping tents along with a washroom for such campgrounds. It should have minimum ecological impact.

अस्थायी तम्बू आवास जिनकी क्षमता कम से कम 8 व्यक्तियों की हो। ऐसे कैंपग्राउंड में न्यूनतम 4 कैंपिंग टैंट, शौचालय सहित होने चाहिए। साथ ही उक्त इकाई का न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभाव होना चाहिए।



4.3. budget hotel

बजट होटल

Budget hotels provide clean, comfortable, safe, inexpensive rooms and meet the basic need of guests. The Budget hotel appeals primarily to budget-minded travelers who want a room with minimum services and amenities required for a comfortable stay, preferably, according to the guidelines of Ministry of Tourism, Government of India. These units should have a minimum of 10 lettable rooms with attached bathrooms. The establishments should be registered as a commercial entity and have GST registration number

बजट होटल के अन्तर्गत पर्यटकों/आगांतुकों को कम से कम खर्च में सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे- स्वच्छ, आगमदायक, सुरक्षित, तथा सस्ते कमरे, जिससे कम बजट वाले पर्यटक भी आकर्षित होंगे। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत कम से कम 10 शैचालय संलग्न कमरों का निर्माण किया जाए। साथ ही इन प्रतिष्ठानों को एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और जीएसटी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।

कक्षों की संख्या	वर्गीकरण कैटेगरी	No. of Rooms	Classification Category
10-50 कक्ष	बजट	10-50 rooms	Budget

4.4. caravan tourism units

कारवां पर्यटन इकाइयां

Vehicles with the ideal length of caravan to be 8.5 m, specially constructed for the purpose of travel, leisure, and accommodation. Preferred requirements include: 1). Sofa cum bed for 2 people. 2). Kitchenette with fridge and microwave oven. 3). Toilet. 4). Net Connectivity 5). IT enabled real-time monitoring systems for the caravan 6). Air-Conditioning. The caravans should operate at least three months in a year, post successful commercial operations.

कारवां ट्रिज्म इकाइयों हेतु कारवां वाहन की आदर्श माप 8.5 मीटर होगी, जिसमें वर्तमान मानक के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी:- (1) 2 लोगों के लिए सोफा कम बेड। (2) फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन युक्त किचन (3) शैचालय (4) नेट कनेक्टिविटी (5) कारवां हेतु आईटी सक्षम रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली (6) एयर कंडीशनिंग। कारवां पर्यटन साल में कम से कम 03 महीने इसका संचालन करेगा बाद में इसे व्यवसायिक संचालन हेतु नियमानुसार खोल दिया जाएगा।

4.5. caravan parking places

कारवां पार्किंग स्थल

Specialized area with minimum 5 parking bays established with necessary infrastructure for caravan/campervan parking/overnight stay in allotted spaces. Caravan Parks should be operational during season and connected from the main road. Specific requirements should include a boundary wall with lockable gates, first aid kit and safety norms and at least 5 male and 5 female toilet, bathroom facilities other basic amenities that are operational 24*7. The supervisory staff and other workers should be trained in disaster management, repairing or service workshop/facility.

इस श्रेणी में कारवां/कैंपवैन पार्किंग/आवंटित स्थानों में, रात भर ठहरने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ न्यूनतम 5 पार्किंग गलियारों के साथ स्थापित विशिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। कारवां पार्क सभी मौसमों के दौरान चालू होने चाहिए और साथ ही मुख्य सड़क से जुड़े होने चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताओं में लॉक करने योग्य गेट, प्राथमिक चिकित्सा किट और सुरक्षा मानदंडों के साथ चारदीवारी और कम से कम 5 पुरुष और 5 महिला शैचालय/बाथरूम सुविधाएं अन्य बुनियादी सुविधाएं जो 24 घण्टे चालू रहेंगी। पर्यवेक्षी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन, मरम्मत या सेवा कार्यशाला/सुविधा में प्रशिक्षित होना चाहिए।

4.6. convention centre for MICE activities

MICE गतिविधियों के लिए कन्वेंशन सेंटर

Covered facility with minimum carpet area of 5,000 sq ft., with at least one convention hall, one exhibition hall, one restaurant and parking facilities area that is designed to hold conventions, conferences, and exhibitions. It should have a seating capacity of at least 500 persons.

इस प्रकार की इकाइयों में सम्मेलनों और प्रदर्शनियों को आयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया ढका एरिया, कम से कम एक कन्वेंशन हॉल, एक प्रदर्शनी हॉल, एक रेस्टरां और पार्किंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इकाई का कार्पेट एरिया 5,000 वर्ग फुट होना चाहिए। इसमें कम से कम 500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होनी चाहिए।





Buddha Temple Remains
Sarnath

4.7. cultural centers सांस्कृतिक केंद्र

"Cultural Tourism Project" is a tourism project set up to showcase the tangible and intangible cultural attractions/products/knowledge/practices in a tourism destination and to promote the culture, rural life, art, craft, cuisine, and heritage of rural locations in the State of Uttar Pradesh.

Set up on a minimum area size of 10,000 sq ft., the Cultural centers and Craft Markets will be perennial in nature, have minimum 5 (five) commercial sale outlets for artisans and will exclusively include commercial transactions of craft materials. This will exclude malls. Culinary Festivals will include commercial sale and promotion of local cuisines of Uttar Pradesh and must be operational for at least 3 months in a year, post successful commercial operations.

These are indicative conditions and maybe made more stringent on the discretion of the State-Level Special Tourism Committee (SLSTC).

'सांस्कृतिक पर्यटन परियोजना' एक पर्यटन स्थल में मूर्ति और अमूर्त सांस्कृतिक आकर्षण/उत्पादों/ज्ञान/प्रथाओं को प्रदर्शित करने और संस्कृति, ग्रामीण

जीवन, कला, शिल्प, व्यंजन और ग्रामीण स्थानों की विरासत को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित एक पर्यटन परियोजना है। इकाई 10,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्र पर स्थापित की जाएगी। इस प्रकार के सांस्कृतिक केंद्र और शिल्प बाजार प्रकृति में बारहमासी होंगे। कारीगरों के लिए न्यूनतम 5 (पांच) वाणिज्यिक बिक्री आउटलेट होंगे और इसमें विशेष रूप से शिल्प सामग्री के वाणिज्यिक लेनदेन को शामिल किया जाएगा। पाक (Cuisine) उत्पादों में उत्तर प्रदेश के स्थानीय व्यंजनों की व्यावसायिक बिक्री और प्रचार शामिल होगा और इकाई को सफल व्यावसायिक संचालन के बाद एक वर्ष में कम से कम 3 महीने के लिए चालू रहना चाहिए।

इकाई के लिए निर्धारित उपरोक्त नियमों में राज्य स्तरीय विशेष पर्यटन समिति (एस0एल0एस0टी0सी0) के विवेकाधीन परिवर्तन किया जा सकता है।

4.8. cultural, rural village or tourist village सांस्कृतिक, ग्रामीण या पर्यटक गांव

Set up on a minimum area size of 1 acre, the project must showcase the rural life, art, culture, craft, cuisine, and heritage of the State. There should be a minimum of one souvenir shop, one restaurant with a seating capacity of 30 people, parking facilities area and one exhibition area.

इकाई का न्यूनतम क्षेत्रफल 01 एकड़ होना चाहिए तथा इकाई में प्रदेश की ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति, शिल्प, भोजन और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस हेतु इकाई में कम से कम एक स्मारिका (Souvenir) दुकान, 30 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक रेस्टरां, पार्किंग सुविधा क्षेत्र और एक प्रदर्शनी क्षेत्र होना चाहिए।

4.9. eco-tourism resorts | units ईको पर्यटन रिसॉर्ट | इकाई

Accommodation in ecotourism destinations such as forests, dam sites, reservoirs, water bodies and other eco-sites where tourists can enjoy flora and fauna. The unit should preferably be in line with the National Strategy for Ecotourism 2022. The resort should have minimum 5 lettable rooms with attached bathrooms.

Tourism infrastructure proposed in the project shall conform to environment-friendly, low impact aesthetic architecture, including (preferable)- solar energy, waste recycling, rainwater harvesting, water conservation, natural cross-ventilation, energy conservation, and proper sewage disposal and merging with the surrounding habitat.

राष्ट्रीय ईको टूरिज्म रणनीति 2022 के तहत ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। रिसॉर्ट में संलग्न बाथरूम के साथ कम से कम 5 रहने योग्य कमरे होने चाहिए। इकाई वर्नों, बांध स्थलों व संरक्षित स्थलों, जलाशयों, जल निकायों और अन्य पारिस्थितिक स्थलों जैसे ईकोटूरिज्म स्थलों में स्थापित होनी चाहिए, जहां पर्यटक समूह वनस्पतियों और जीवों का आनंद ले सकते हैं।

परियोजना में प्रस्तावित पर्यटन अवसंरचना पर्यावरण के अनुकूल एवं कम प्रभाव वाले सौंदर्य वास्तुकला के अनुरूप होगी, जिसमें - सौर ऊर्जा, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, प्राकृतिक क्रॉस-वेटिलेशन, ऊर्जा संरक्षण और उचित सीवेज निस्तारण और आसपास आवासीय वातावरण (Habitat) में विलय को शामिल किया जा सकता है।



4.10. farm stay

फार्म स्टे

Farm stay is a type of accommodation on/near a working farm or agricultural field constructed especially for tourists and separate from the usual residence of the farm owner. There should be a reception area at the entrance to welcome the visitors and should have a minimum of 2 lettable rooms. The farm stay must include at least one of the following components:

1. Agriculture farming
2. Horticulture orchard/garden
3. Fishpond
4. Dairy Farm
5. Animal Husbandry unit, 6. Farm Tours
7. Farm Store
8. Other activities as decided by the Department

फार्म स्टे एक प्रकार का आवास है जो कार्यकारी फार्म या कृषि क्षेत्र के आस-पास विशेष रूप से पर्यटकों के लिए बनाया जाता है, जो फार्म मालिक के सामान्य निवास से अलग है। इकाई में आगंतुकों (Visitors) के स्वागत हेतु प्रवेश द्वार पर एक स्वागत कक्ष होना चाहिए। इकाई में कम से कम 2 रहने योग्य कमरे होने चाहिए। फार्म स्टे में निम्नलिखित घटकों/अवयवों में से कम से कम एक शामिल होना चाहिए:-

1. कृषि खेती
2. बागवानी बाग/उद्यान
3. मछली पकड़ने का तालाब
4. डेयरी फार्म
5. पशुपालन इकाई
6. फार्म टूर
7. फार्म स्टोर
8. विभाग द्वारा तय की गई अन्य गतिविधियाँ।

4.11. flotels | floating restaurants

फ्लोटेल्स | फ्लोटिंग रेस्तरां

Flotels have been designed or modified to be used as a floating accommodation facility offered to tourists. This will be an accommodation vessel/a boat with at least 4 beds. It should have a separate toilet for ladies and gents. It should have trained staff for implementation of safety norms.

Floating Restaurant is any vessel that customarily remains stationary in any area of the waters of Uttar Pradesh that is used for the purpose of a food business involving the sale of meals to the public for consumption on board. It should have a restaurant with seating capacity of 10 people.

फ्लोटेल्स को पर्यटकों को दी जाने वाली फ्लोटिंग आवास सुविधा के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन या संशोधित किया जाता है। इसमें कम से कम 4 बिस्तरों वाला आवासीय पोत/नाव होना चाहिए। इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। इसमें सुरक्षा मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। इसमें 10 लोगों के बैठने की क्षमता वाला रेस्टोरेंट होना चाहिए।

फ्लोटिंग रेस्तरां कोई भी जहाज/नौकाएं हो सकती हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी भी जल क्षेत्र में परंपरागत रूप से स्थिर हों, जिसका उपयोग खाद्य सामग्री व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें उपभोग हेतु जनता को भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

4.12. heritage hotel

विरासत होटल

The old buildings/forts/havelis/kothis/castles constructed prior to 1950, on being operated as hotels will be included in the category of heritage hotels wherein the architectural features shall not be altered.

1950 से पूर्व निर्मित पुराने भवनों/किलों/हवेलियों/कोठियों/महलों को होटल के रूप में संचालित किए जाने पर हेरिटेज होटलों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, जिनकी वास्तुकला संबंधी विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- Heritage Hotel** : Built prior to 1950 in which there should be a minimum of 5 rooms compulsorily.
 - Heritage Classic** : Built prior to 1935, in which there should be a minimum of 15 rooms compulsorily.
 - Heritage Grand** : Built prior to 1920, in which there should be a minimum of 25 rooms compulsorily.
- हेरिटेज होटल** : होटल का भवन 1950 से पहले का निर्मित हो तथा इसमें न्यूनतम 5 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
 - हेरिटेज क्लासिक** : होटल का भवन 1935 से पहले का निर्मित हो तथा इसमें न्यूनतम 15 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
 - हेरिटेज ग्रैंड** : होटल का भवन 1920 से पहले का निर्मित हो तथा इसमें न्यूनतम 25 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

4.13. heritage homestays

विरासत गृहप्रवास

Tourism units wherein the tourist resides with the owner or any of his or her family member in the usual place of residence. Heritage homestays must be built prior to 1950 and must be operating at least 2-4 rooms in the heritage property.

पर्यटन इकाइयाँ जिनमें पर्यटक सामान्य निवास स्थान में गृह स्वामी या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ रहता है। हेरिटेज होमस्टे का भवन 1950 से पहले का निर्मित होना चाहिए और इसमें कम से कम 2-4 कमरों का संचालन किया जाना चाहिए।

4.14. hotels

होटल्स

These units should have a minimum of 50 lettable rooms with attached bathrooms. The establishments should be registered as a commercial entity and have GST registration number. It is preferred for these units to have a star classification under Ministry of Tourism, Government of India or Department of Tourism, Uttar Pradesh.

इस श्रेणी की पर्यटन इकाइयों में संलग्न बाथरूम के साथ कम से कम 50 रहने योग्य कमरे होने चाहिए। प्रतिष्ठानों को एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। इस श्रेणी की पर्यटन इकाइयों हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा स्टार वर्गीकृत होटलों को वरीयता क्रम दिया जाएगा।



4.15. new tourism startup units

नई पर्यटन स्टार्टअप इकाइयां

Projects and services that utilize new technologies, promote sustainability, and positively impact local communities, through innovation will fall under this category. These projects will be proposed to the State-Level Special Tourism Committee (SLSTC). The incentives and concessions provided would be at the discretion of the Committee.

पर्यटन की ऐसी परियोजनाएँ और सेवाएँ जो नई तकनीकों का उपयोग करती हैं, सतत विकास को बढ़ावा देती हैं, तथा नवाचार के माध्यम से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, वे इस श्रेणी में आएंगी। इन परियोजनाओं का प्रस्ताव राज्य स्तरीय विशेष पर्यटन समिति (एस0एल0एस0टी0सी0) को दिया जाएगा। समिति के विवेकानुसार प्रोत्साहन और रियायत/छूट प्रदान की जाएंगी।

4.16. international yoga center | naturopathy centers

अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र | प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र

It is theme-based development promoting yoga and wellness activities. It should have a yoga gurukul, rejuvenation center, meditation center and minimum 5 dorm style accommodation for tourists.

It should have a Naturopathy center, providing physiological, psychological, and spiritual health to people through integrated therapy.

यह विषय-आधारित विकास है जो योग और कल्याणिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसमें एक योग-गुरुकुल, कायाकल्प केंद्र, ध्यान (Meditation) केंद्र और पर्यटकों के लिए कम से कम 5 शयनकक्ष होने चाहिए।

इसमें एकीकृत चिकित्सा के माध्यम से लोगों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए।



4.17. light and sound show | laser shows

प्रकाश एवं ध्वनि शो | लेजर शो

A theatrical entertainment presented at night in a historic, usually outdoor setting, using recorded sound, lighting, and other effects to relate the history of the place. It includes other types of illumination-based performance such as Laser Shows, 3D Projection Mapping, etc.

किसी ऐतिहासिक स्थान विशेष के इतिहास से संबंधित नाट्य मनोरंजन, जो कि आमतौर पर खुले स्थानों में रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें रिकॉर्ड की गई ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था और अन्य प्रभावों का उपयोग होता है। इसमें अन्य प्रकार के रोशनी-आधारित प्रदर्शन जैसे लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग आदि शामिल हैं।

4.18. mega projects

मेगा प्रोजेक्ट्स

Projects capable of creating new employment of more than 200 persons with new investment of INR 500 crores and above will be construed as Mega Tourism Units. The proposals of Mega Tourism Units would require due approval of the State-Level Special Tourism Committee (SLSTC).

ऐसी पर्यटन इकाइयां जो 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के नए निवेश के साथ 200 से अधिक व्यक्तियों के नए रोजगार को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगी, उन्हें मेगा पर्यटन इकाइयों की श्रेणी में समिलित किया जाएगा। मेगा पर्यटन इकाइयों के प्रस्तावों के लिए राज्य स्तरीय विशेष पर्यटन समिति (एस 0एल0एस0टी0सी0) के अनुमोदन स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

4.19. multi level parking

बहु-स्तरीय पार्किंग

The multi-level parking should be able to accommodate at least 300 cars and have G+1 structure.

बहु-स्तरीय पार्किंग में भूतल एवं प्रथम तल पर ऐसी संरचना होनी चाहिए जिसमें कम से कम 300 कार (car) को समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए।

4.20. permanent tented accommodation | swiss cottages

स्थायी तम्बू आवास | स्विस कॉटेज

Permanent tented accommodation with a gross carpet area of at least 200 sqm. There should be a minimum of 10 fixed tents with attached toilets. It should have adequate electricity, water supply, sewerage disposal and drainage facility.

इस प्रकार की परियोजना इकाइयों के तहत स्थायी तम्बू आवास को समिलित किया जाएगा, जो कम से कम 200 वर्गमीटर के सकल (Gross) क्षेत्र में निर्मित हों। इसमें कम से कम 10 स्थिर टेंट होने चाहिए, जिनमें शौचालय भी हो। इसमें पर्याप्त बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज निवारण और जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए।



4.21. pilgrimage dormitories | dharamshalas and ashrams तीर्थयात्रा शयनगृह | धर्मशालाएं और आश्रम

Pilgrimage dormitories including Dharamshalas and Ashrams is a public budget accommodation for pilgrims, commonly includes dormitory style rooms, shared washrooms, and banquet halls at pilgrimage and spiritual sites.

सार्वजनिक बजट आवास के तहत इस योजना के रूप में धर्मशालाओं और आश्रमों सहित तीर्थयात्रा शयनगृह तथा आध्यात्मिक स्थलों पर शयनगृह शैली के कमरे, साझा शौचालय और बैंकयेट हॉल शामिल होंगे।

4.22. public golf course units- open and non-restricted सार्वजनिक गोल्फ कोर्स इकाइयां-खुले और अप्रतिबंधित क्षेत्र में

A public golf course where the land area should not be less than 10 acres. It should have a club house providing services on rental basis. Adequate parking for at least 25 vehicles and public toilet facility should also be available. These golf courses should be non-restrictive to the general public.

इस श्रेणी में ऐसे सार्वजनिक गोल्फ कोर्स को समिलित किया जाएगा जिसका भूमि क्षेत्रफल 10 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। इसमें किराये के आधार पर सेवाएं प्रदान करने वाला एक 'व्हलब हाउस' होना चाहिए। कम से कम 25 वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये गोल्फ कोर्स आम जनता के लिए अप्रतिबंधित होने चाहिए।

4.23. public museums सार्वजनिक संग्रहालय

Tourism unit that comprises of a structure that curates, conserves and/or exhibits work of art, science, history, and heritage with a minimum area of 5,000 sq. ft. of exhibition/display area. It should have adequate parking spaces in relation to the project capacity.

पर्यटन इकाई जिसमें एक ऐसी आधारभूत संरचना शामिल होगी जो न्यूनतम 5,000 वर्ग फुट प्रदर्शन क्षेत्र/प्रदर्शनी के साथ कला, विज्ञान, इतिहास और विरासत के कार्यों को प्रोत्साहित/संरक्षित/प्रदर्शित करेगी। इस परियोजना के पास पर्याप्त पार्किंग स्थान होना चाहिए।

4.24. Resorts रिसॉर्ट्स

Minimum plot size of 2 acres and have minimum of 20 lettable rooms with attached bathrooms. It should have on its plot, a minimum open space (unbuilt area) of 5,000 Sq.m. It should have at least 4 of the following facilities:

1. Indoor games (e.g., Table – Tennis, Squash, Billiards, Bowling Alley, etc.)
2. Conference Room
3. Swimming pool
4. Tennis or Badminton Court or Golf or other outdoor games area
5. A Health Club
6. A lounge

प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 एकड़ और संलग्न बाथरूम के साथ न्यूनतम 20 रहने योग्य कमरे होने चाहिए। इसके प्लॉट पर 5,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम खुला स्थान (बिना निर्मित क्षेत्र) होना चाहिए। इनमें निम्नलिखित न्यूनतम 4 सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए:

1. इंडोर गेम्स (जैसे, टेबल-टेनिस, स्कॉर्च, बिलियर्ड्स, बॉलिंग एले, इत्यादि)
2. सम्मेलन कक्ष
3. स्विमिंग पूल
4. टेनिस या बैडमिंटन कोर्ट या गोल्फ या अन्य बाहरी खेल क्षेत्र
5. एक स्वास्थ्य क्लब
6. एक लाउंज



4.25. revolving restaurant घूमने वाला रेस्तरां

Revolving restaurants refers to a luxurious fine dine experience at a height of more than 50 feet either on a building or some other infrastructure utilized for the same.

रिवाल्विंग रेस्तरां का तात्पर्य किसी भवन या उसके लिए उपयोग किए गए किसी अन्य बुनियादी ढाँचे पर 50 फीट से अधिक की ऊँचाई पर एक शानदार भोजन अनुभव व्यवस्था से है।

4.26. rural homestay

ग्रामीण गृहप्रवास

Tourism units wherein the tourist resides with the owner or any of his or her family member in the usual place of residence. Rural Homestays must have minimum one (1) lettable room and maximum six (6) lettable rooms. A maximum of 12 beds may be lettable. These units must follow the guidelines and specifications referred in the Bed and Breakfast Scheme of the Ministry of Tourism
ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पर्यटन इकाइयाँ जिनमें पर्यटक सामान्य निवास स्थान में गृह स्वामी या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ रहता है।
ग्रामीण गृहप्रवास में कम से कम 01 किराए पर देने योग्य कमरा और अधिकतम 06 किराए पर देने योग्य कमरे होने चाहिए, जो अधिकतम 12 व्यक्तियों के रहने योग्य हों। इन इकाइयों को पर्यटन मंत्रालय की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' योजना में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

4.27. theme park | amusement park | water park

थीम पार्क | मनोरंजन पार्क | वाटर पार्क

Theme Park/Water Park is a permanent ticketed entry facility based on a single or series of themes having a plot measuring at least 10,000 Sq.m. (about 2.5 acres). It should have restaurants, amusement rides/water slides, theatre and shopping areas.

"Amusement Park" is a permanent ticketed entry facility having a plot measuring at least 2.5 acres being used for the purpose of entertainment and amusement where at least 10 or more rides are installed.

थीम पार्क/वाटर पार्क में कम से कम 10,000 वर्ग मीटर(लगभग 2.5 एकड़) का प्लॉट एरिया होना चाहिए एवं एकल थीम या थीम शृंखला पर आधारित एक स्थायी टिकट्युक्त प्रवेश सुविधा होनी चाहिए। इसमें रेस्तरां, मनोरंजन की सवारी/पानी की स्लाइड, थिएटर और खरीदारी (Shopping) के क्षेत्र होने चाहिए।

'मनोरंजन पार्क' में कम से कम 2.5 एकड़ के प्लाट के साथ एक स्थायी टिकट वाली प्रवेश सुविधा होनी चाहिए, जिसका उपयोग मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाएगा। इसमें कम से कम 10 या अधिक मनोरंजक सवारियां स्थापित होनी चाहिए।

4.28. tour and travel operators working for international inbound tourists

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए काम कर रहे ट्रूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स

Proprietary or partnership firm or registered society or private limited company or public company or corporation, duly registered under the law providing any service related to travel and tourism including tour operators, travel agents, transport operators, ticketing agents, and tourist guides. Only those tour and travel operators will be eligible who have participated in at least 3 international travel marts and have planned and managed tour of at least 10 international tourists hailing from at least 5 or more countries apart from India.

इस योजना के अन्तर्गत ट्रूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, टिकट एजेंट और टूरिस्ट गाइड सहित यात्रा और पर्यटन से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने वाली ऐसी एजेन्सियां जो कि कानून के तहत विधिवत पंजीकृत हो, को समिलित किया जाएगा। साथ ही स्वामित्व/साझेदारी फर्म, पंजीकृत सोसायटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या निगम को भी समिलित किया जाएगा। इस योजना हेतु केवल वे ट्रूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर ही पात्र होंगे जिनके द्वारा कम से कम 3 अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट में भाग लिया गया हो तथा भारत के अलावा कम से कम 5 या अधिक देशों से आने वाले न्यूनतम 10 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के दौरे (दूर) की योजना का प्रबन्ध किया गया हो।



4.29. tourism and hospitality training institute

पर्यटन और आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान

Should be an accredited educational institute in the State of Uttar Pradesh offering tourism/hospitality courses and awards a degree/diploma/certificate with a course duration of at least 15 days.

इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त ऐसे शैक्षणिक संस्थान को समिलित किया जाएगा, जो 'पर्यटन/आतिथ्य पाठ्यक्रम' प्रदान करता हो और कम से कम 15 दिनों के पाठ्यक्रम की अवधि के साथ 'डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र' प्रदान करता हो।

4.30. waterbodies | lake | river cruise tourism unit

जलाशय | झील | नदी क्रूज पर्यटन इकाई

A water transport facility with a minimum seating capacity for at least 10 persons which is compliant to all laws/rules/regulations in force and is being used for the purpose of leisure and entertainment.

इस इकाई में कम से कम 10 व्यक्तियों के बैठने की न्यूनतम क्षमता वाली एक जल परिवहन सुविधा हो, जो कानूनों/नियमों/विनियमों के अनुरूप हो तथा जिसका उपयोग मनोरंजन के उद्देश्य से किया जा रहा हो।



4.31. wayside amenities | dhabas

सड़क के किनारे की सुविधाएं | ढाबे

Also commonly referred to as Highway Rest Areas are passenger-oriented complexes located along National Highways, State Highways, and Major District Roads or within 100 meters from the Highway. They must have (a) Food Plaza (25 persons); (b) 5 restrooms for men, women and specially abled persons; (c) Emergency/Medical Facilities; (d) Communication Centre(f) Specially abled amenities such as ramps; (f) Playground for kids/lobby; (g) Parking facility for cars, buses and tourist buses.

इस श्रेणी में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों के किनारे या राजमार्ग से 100 मीटर के भीतर स्थित यात्री-उन्मुख क्षेत्र/परिसर को सम्मिलित किया जाएगा। इन्हे सामान्यतः हाईवे आराम गृह के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार की इकाइयों में (1) फूट प्लाजा (25 व्यक्तियों हेतु) होना चाहिए; (2) पुरुषों, महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए 5 शौचालय; (3) आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं; (4) संचार केंद्र (5) विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों हेतु सुविधाएं जैसे रैप; (6) बच्चों के लिए खेल का मैदान/लॉबी; (7) कारों और पर्यटक बसों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

4.32. wellness centre

कल्याणकारी केन्द्र

A facility with 5 therapy rooms that provide specialized therapy to tourists through alternate system of medicine such as AYUSH (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy).

इस प्रकार की पर्यटन इकाइयों में 5 चिकित्सा कक्षों की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जहां आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) से सम्बन्धित चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से पर्यटकों को विशेष चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

4.32. wellness resorts | units

वेलनेस रिसॉर्ट्स | इकाइयां

Accommodation facility with minimum area of 1 acre, 20 rooms and therapy rooms that offer services for - 1. Ayurveda 2. Yoga & Naturopathy 3. Unani 4. Siddha 5. Homeopathy, to achieve, promote, and maintain maximum health and a sense of well-being

इस प्रकार की पर्यटन इकाइयों में 1 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ आवास सुविधा, 20 कक्ष/चिकित्सा कक्ष की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार की इकाइयों के अन्तर्गत 1. आयुर्वेद 2. योग और प्राकृतिक चिकित्सा 3. यूनानी 4. सिद्ध 5. होम्योपैथी, आदि सम्बन्धी कल्याणकारी सुविधा प्रदान की जाएंगी, जिससे पर्यटकों में स्वस्थ रहने की भावना को बढ़ावा मिलेगा।



“

Uttar Pradesh, the heart of India, is a land of epics, holy rivers, ancient cities, pilgrimage and rich biodiversity. In modern times, it is emerging as a driver of the nation's economy with its network of expressways, industrial corridors, international airports, centers of educational and medical excellence, and an exporter of indigenous products.

Today, with its robust infrastructure and a proactive leadership, the state offers the most investor friendly environment for a better future for its people and the entire country.

heritage tourism units

विरासत पर्यटन इकाइयां

Heritage tourism units are those units which are being operated on a heritage building that is a building constructed prior to 1st January 1950. The basic façade, architecture features and general construction of a heritage tourism unit shall be planned in such a manner that the original architecture and ambience of the heritage building is conserved at all times.

Heritage homestays and Heritage hotels are two such categories of heritage tourism units and are eligible for special incentives being provided under this policy. Heritage Homestay refers to those units wherein the tourist resides with the owner or any of his/her family member in the usual place of residence which must be a heritage building.



विरासत पर्यटन इकाइयां वे इकाइयां हैं जो एक विरासत भवन पर संचालित की जा सकती हैं जिसका निर्माण 1 जनवरी 1950 से पूर्व किया गया हो। विरासत भवन की मूल वास्तुकला को संरक्षित करते हुए इकाई का निर्माण किया जाना चाहिए।

हेरिटेज होमस्टे और हेरिटेज होटल विरासत पर्यटन इकाइयों की ऐसी दो श्रेणियां हैं जो इस नवीन पर्यटन नीति के तहत प्रदान किए जा रहे विशेष प्रोत्साहन की पात्र हैं। हेरिटेज होमस्टे उन इकाइयों को संदर्भित करता है जिनमें पर्यटक विरासत भवन में गृह स्थानीय या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ निवास स्थान पर रहता है।

note | नोट

Heritage hotels will be defined as per the Ministry of Tourism, Government of India guidelines according to which the heritage value old buildings/forts/havelis/kothis/castles constructed prior to 1950, on being operated as hotels will be included in the category of heritage hotels. Heritage hotels can be of any size and dimension.

हेरिटेज होटलों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा, जिसके अनुसार 1950 से पूर्व निर्मित हेरिटेज मूल्य के पुराने भवनों/किलों/हवेलियों/कोठियों/महलों को होटल के रूप में संचालित किए जाने पर हेरिटेज की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। हेरिटेज होटल किसी भी आकार और आयाम के हो सकते हैं।



On the basis of antiquity of construction and facilities available in the buildings of heritage value, the heritage hotels have been classified into:

- निर्माण की प्राचीनता और हेरिटेज वैल्यू के भवनों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निम्नानुसार हेरिटेज होटलों का वर्गीकरण किया गया है:
- Heritage Hotel** : Built prior to 1950, in which there should be a minimum of 5 rooms compulsorily.
 - Heritage Classic** : Built prior to 1935, in which there should a minimum of 15 rooms compulsorily.
 - Heritage Grand** : Built prior to 1920, in which there should be a minimum of 25 rooms compulsorily.
- हेरिटेज होटल** : 1950 से पहले निर्मित, जिसमें कम से कम 5 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
 - हेरिटेज क्लासिक** : 1935 से पहले निर्मित, जिसमें न्यूनतम 15 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
 - हेरिटेज ग्रैंड** : 1920 से पूर्व निर्मित, जिसमें न्यूनतम 25 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

special incentives being offered to heritage tourism units

विरासत पर्यटन इकाइयों हेतु विशेष प्रोत्साहन

- a. Amount equal to the capital funding of 25% of the capital cost or INR 5 Crore, whichever is less, will be given by the Government of Uttar Pradesh, under the capital investment subsidy for the conservation/expansion/renovation/retrofitting of heritage hotels without altering the basic architectural façade and structure of the heritage building
- b. Self-expenditure and loan obtained by a promoter from scheduled commercial banks (SCBs) on eligible components for any project of construction/extension/renovation/retrofitting of heritage hotel, will be considered as the project cost.
- c. In the event of getting project appraisal from SCBs approved by the Reserve Bank of India (RBI) and on taking loan from such SCBs for construction/extension/renovation/retrofitting of heritage hotels in the state, 5% interest subsidy on a loan of maximum INR 5 crore would be permissible up to a maximum of 5 years period, from the date of approval of first loan. The above interest subsidy would be capped at INR 25 lakh per annum.

Note: Heritage tourism units are entitled to avail, both the Capital Investment Subsidy and the Interest Subsidy.

- d. **Excise Duty:** The Department will provide a 50% reimbursement of the excise license fee (bar license) paid during the first year for heritage hotels located in rural areas




- a. **Exemption in Stamp Duty:** If for establishing/commercial operations/expansion of a heritage tourism unit, any building or its appurtenant land is purchased, then on such transfer deeds, 100% of the payable stamp duty will be exempted in the form of subsidy by the Department, provided the land appurtenant is being mutated in the name of the heritage tourism unit and is an integral part of the heritage tourism unit
- b. **Land Use Conversion Charge:** If in any development area, where land-use is demarcated, and old properties of heritage value are converted into heritage hotel, then the concerned Development Authority would give 100% waiver in conversion charges, terming such land-use of the converted property as 'Heritage Hotel'.
- c. **Infrastructure Development:** The state government would give preference to the arrangement of better and encroachment free link roads to the heritage hotels. For uninterrupted power supply, arrangements may be made for power sub-stations/transformers and attractive signages will be installed.
- d. **Publicity Broadcasting:** The Department would do the publicity broadcasting of products and activities related to the heritage tourism, through mediums like the Department's literature, website, and mobile application, etc. The Department would also offer signages along key routes (NH, SH, MDR) to attract tourist's arrivals in Heritage Hotels and Heritage Homestays.
- e. The department would form a committee, which will tour from time to time to examine units and will take action to address the difficulties before them and provide necessary cooperation.

1. पंजीकृत होरिटेज इकाई के मूल स्वरूप | बाह्य संरचना में बिना बदलाव लाये इकाई के संरक्षण/विस्तार/नवीनीकरण/रिट्रोफिटिंग आदि हेतु पर्यटन नीति के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश के 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹० ५ करोड़ (रुपये पांच करोड़) की सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है।
2. होरिटेज होटल के निर्माण/विस्तार/नवीनीकरण/रिट्रोफिटिंग की किसी परियोजना के लिए निवेश हेतु योग्य घटकों पर प्रमोटर द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस०सी०बी०) से प्राप्त क्रण एवं स्व-व्यय को परियोजना लागत के रूप में माना जाएगा।
3. राज्य में होरिटेज होटलों के निर्माण/विस्तार/नवीनीकरण/रिट्रोफिटिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से परियोजना मूल्यांकन प्राप्त करने और क्रण लेने की स्थिति में, अधिकतम ५ करोड़ रुपये के क्रण पर ५ वर्ष तक ५ प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा २५ लाख रुपये प्रति वर्ष होगी।

नोट: होरिटेज इकाइयों को पूँजीगत एवं ब्याज अनुदान दोनों अनुमत्य होंगे।

4. **उत्पाद शुल्क:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होरिटेज होटलों के लिए उत्पाद शुल्क लाइसेंस जारी होने की तिथि से प्रथम वर्ष के दौरान भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क/लाइसेंस शुल्क की ५० प्रतिशत प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।
5. **स्टाम्प शुल्क में छूट:** यदि किसी होरिटेज पर्यटन इकाई की स्थापना/वाणिज्यिक संचालन/विस्तार हेतु कोई भवन अथवा उससे संलग्न भूमि क्रय की जाती है तो ऐसे हस्तान्तरण विलेख (प्रपत्र) पर देय स्टाम्प शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी, बशर्ते संलग्न भूमि विरासत पर्यटन इकाई के नाम पर उत्परिवर्तन की जा रही हो और विरासत पर्यटन इकाई का एक अभिन्न अंग हो।
6. **भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क:** यदि किसी विकास क्षेत्र में, जहाँ भूमि-उपयोग का सीमांकन किया गया है, और होरिटेज वैल्यू की पुरानी संपत्तियों को होरिटेज होटल में परिवर्तित किया जाता है, तो संबंधित विकास प्राधिकरण ऐसे भूमि-उपयोग की शर्तों को पूरा करते हुए 'होरिटेज होटल' के रूप में परिवर्तित संपत्ति को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में १०० प्रतिशत छूट प्रदान करेगा।
7. **अवसंरचना विकास:** राज्य सरकार होरिटेज होटलों के लिए बेहतर एवं अतिक्रमण मुक्त सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था को प्राथमिकता देगी। निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपकरणों/ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था की जाएगी एवं आकर्षक साइनेज (Signage) लगाये जायें।
8. **प्रचार प्रसार:** पर्यटन विभाग होरिटेज ट्रूरिज्म से संबंधित उत्पादों और गतिविधियों का प्रचार-प्रसार विभाग के द्वारा विभागीय साहित्य, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन आदि माध्यमों से करेगा।



committees for approvals of heritage hotels

हेरिटेज होटलों के अनुमोदन | स्वीकृति हेतु समितियां

a. Heritage Zones will be earmarked, and by-laws will be prepared under the below mentioned committees:

1. निम्नलिखित समितियों के अधीन उपनियम तैयार किये जायेंगे तथा हेरिटेज जोन चिह्नित किये जायेंगे:

S.No.	Designation Department	Title
1	Principal Secretary/Secretary Tourism	Member
2	Principal Secretary/Secretary Urban Development	Member
3	Principal Secretary/Secretary Housing	Member
4	Principal Secretary/Secretary Culture	Member
5	Director, Directorate of Archaeology	Member
6	Director Culture	Member
7	Director Museum	Member
8	Chief Town Planner	Member
9	Director General – Archeological Survey of India or a nominated representative	Member
10	Director General, Tourism	Member
क्र.सं.	विवरण	पद
1.	प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन	सदस्य
2.	प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति	सदस्य
5.	निदेशक, पुरातत्व निदेशालय	सदस्य
6.	निदेशक, संस्कृति विभाग	सदस्य
7.	निदेशक, संग्रहालय	सदस्य
8.	मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
9.	महानिदेशक - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	महानिदेशक, पर्यटन	सदस्य

a. To convert heritage building into heritage hotel, approval and classification from a committee will be mandatory.
The committee constituted will be as follows:

1. हेरिटेज बिल्डिंग को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने हेतु गठित निम्न विवरणानुसार समिति से अनुमोदन एवं वर्गीकरण अनिवार्य होगा:

S.No.	Designation Department	Title
1	District Magistrate	Chairman
2	Sub-district Magistrate of concerned Tehsil	Member
3	Executive Engineer, PWD	Member
4	Manager, UPSTDC	Member
5	Director, Directorate of Archaeology	Member
6	Regional Tourist Officer	Member Secretary



क्र.सं.	विवरण	पद
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी	सदस्य
3.	कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	सदस्य
5.	निदेशक, पुरातत्व निदेशालय	सदस्य
6.	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य सचिव



bed and breakfast | homestay scheme

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट | होमस्टे योजना

Bed & Breakfast/Homestay a niche form of hospitality and lodging whereby tourists get an experience of rural life, culture, and cuisine of the host community. It is the backbone of rural tourism, agriculture tourism and farm stays.

It has resulted as a means of alternative livelihood this can also play a vital role for resolving shortage of rooms for tourist in various areas.

The Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh, through this scheme, will encourage Homestay operators to develop a homely visitor experience. The scheme is conceptualized under the Incredible India "Atithi Devo Bhava". With the aim of providing comfortable homestay facilities with standardized world class services to the tourists.

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे योजना, आतिथ्य और आवास का एक विशिष्ट रूप है, जिससे पर्यटकों को मेजबान समुदाय के ग्रामीण जीवन, संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव मिलता है। यह ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन और फार्म स्टे को बढ़ावा देता है।

यह वैकल्पिक आजीविका के साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण विकल्प है, यह विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटकों हेतु आश्रय की कमी को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस योजना के माध्यम से होमस्टे संचालकों को घरेलू आगंतुक अनुभव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस योजना की परिकल्पना अतुल्य भारत के 'अतिथि देवो भवः' के तहत की गई है। पर्यटकों को विष्व स्तरीय सेवाओं के साथ आरामदायक होमस्टे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।



6.1. benefits under the scheme

योजना के अन्तर्गत लाभ

- a. There will be a single window for fast track and time bound approvals for the establishments applying.
- b. To encourage development of establishments faster, the Department may appoint aggregators to lead this initiative.
- c. The establishment to remain under residential/non-commercial category.
- d. Domestic rates for electricity would be charged to the registered establishments.
- e. Domestic rates for water tax would be charged to the registered establishments.
- f. Aggregators will be employed to train the homestay operators, by creating the SOPs and conducting safety and security audits.
- g. Marketing support through listings on the Department's website, journals, publications, mobile application, etc.
- h. The Department will support the establishments by placing directional signage along the highways and major tourist spots.

1. आवेदकों के सुविधार्थ फास्ट ट्रैक और समयबद्ध अनुमोदन के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2. प्रतिष्ठानों/होमस्टे के तेजी से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, विभाग इस पहल का नेतृत्व करने के लिए एग्रीगेटर (Aggregator) नियुक्त कर सकता है।
3. प्रतिष्ठानों/होमस्टे को आवासीय/गैर-वाणिज्यिक श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाएगा।
4. पंजीकृत प्रतिष्ठानों/होमस्टे द्वारा बिजली कर की घरेलू दरें देय होंगी।
5. जल कर की घरेलू दरें पंजीकृत प्रतिष्ठानों/होमस्टे द्वारा देय होंगी।
6. एसओपी बनाकर सुरक्षा, सुरक्षा ऑडिट करने एवं होमस्टे ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने हेतु एग्रीगेटर्स (Aggregators) को नियुक्त किया जाएगा।
7. विभागीय वेबसाइट, पत्रिकाओं, प्रकाशनों, मोबाइल एप्लिकेशन आदि के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।
8. राजमार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर साइनेज लगाकर प्रतिष्ठानों का समर्थन/प्रचार-प्रसार किया जाएगा।



6.2. registration process

पंजीकरण की प्रक्रिया

- a. Under this scheme, the B&B owners and homeowners intending to use their residential premises as a B&B/homestay establishment, for providing accommodation to tourists on payment for boarding and lodging, shall apply on Ministry of Tourism (MOT), Government of India website (nidhi.nic.in) to register the establishment.
- b. The owner will then submit the registration certificate received from MOT on the UP-Tourism website. The owner will then receive a certificate from UP Tourism which will be used to avail the benefits of the B&B/homestay scheme.
1. इस योजना के तहत, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट आवास के लिए भुगतान पर पर्यटकों को आवास प्रदान करने के लिए, अपने आवासीय परिसर को बी एंड बी(B&B)/होमस्टे प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग करने के इच्छुक आवेदक, पर्यटन मंत्रालय (एम०ओ०टी०), भारत सरकार की वेबसाइट (nidhi.nic.in) पर आवेदन कर सकते हैं।
2. इसके बाद आवेदक पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जमा करेगा। इसके बाद आवेदक को ३०प्र० पर्यटन से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आवेदक नीति के अन्तर्गत अनुमत्य लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकता है।





incentives, subsidies & concessions

नीति में प्रस्तावित आर्थिक प्रोत्साहन, सब्सिडी और रियायतें

These interventions have been designed to attract maximum investments and boost the tourism sector at large in the State.

पर्यटन नीति के अंतर्गत नियमों को अधिकतम निवेश आकर्षित करने और राज्य में वृहद क्षेत्र पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।



7.1. industry status to tourism

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

Star-category hotels, resorts and defined eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department shall be conferred industry status. The incentives are as follows: Details of which will be provided in the Operational Guidelines.

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी स्टार केटेगरी होटल्स/रिसॉर्ट्स व परिभाषित पात्र पर्यटन परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जायेगा। परियोजनाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन/सब्सिडी/छूट प्रदान की जाएंगी, जिसका विवरण संचालन नियमावली में प्रदान किया जाएगा:

- a. Electricity duty shall be charged as per Industry rates from star classified and registered hotels.
- b. House Tax (Property tax) and Water sewerage tax of Nagar Nigam and Jal Sansthan as levied on the industries shall be applicable to all registered tourism units as described in Tourism Policy 2022,
- c. Construction of hotels and resorts will be allowed on the land situated in industrial areas established/developed by State Government and on the land that has been demarcated for industrial usage by the respective Development Authorities. Such hotels and resorts will be conferred industry status.

Hotel and Resort construction to be permitted in the industrial areas as per policy decided by relevant industrial authority. Respective Industrial authority(s) shall notify specific detailed bylaws for sanction of maps for such allowed hotels and resorts. Till such notification(s) are issued, the building bylaws of Housing and Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh may be followed along with the guidelines mentioned in the existing industrial bylaws by the industrial authorities.



- स्टार क्लासिफाइड तथा पंजीकृत होटलों से विद्युत शुल्क उद्योग दरों के अनुसार ही लिया जाएगा।
- नगर निगम एवं जल संस्थान का हाउस टैक्स (संपत्ति कर) और वाटर सीवरेज टैक्स, पर्यटन नीति 2022 में वर्णित सभी पंजीकृत पर्यटन इकाइयों पर उद्योग की भांति देय होगा।
- राज्य सरकार के द्वारा स्थापित एवं विकसित औद्योगिक क्षेत्रों एवं अन्य प्राधिकरणों के अन्तर्गत आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर होटल व रिसोर्ट का निर्माण अनुमत्य किया जायेगा एवं इन्हें उद्योग का दर्जा दिया जायेगा।

संबंधित औद्योगिक प्राधिकरण ऐसे अनुमत्य होटलों और रिसॉर्ट्स के मानचित्रों की मंजूरी के लिए विशेष विस्तृत उपनियमों को अधिसूचित करेंगे। ऐसी अधिसूचना जारी होने तक, औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा मौजूदा औद्योगिक उपनियमों में उल्लिखित दिशानिर्देशों के साथ-साथ आवास एवं शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के भवन उपनियमों का पालन किया जा सकता है।

7.2. capital investment subsidy to eligible tourism units

पात्र पर्यटन इकाइयों को पूँजीगत अनुदान | Capital Subsidy

All eligible tourism units are eligible for capital subsidy as per given quantum. 100% of the capital investment subsidy amount shall be granted post the successful start of commercial operations of the eligible tourism unit.

सभी पात्र पर्यटन इकाइयां निम्नलिखित तालिका में निर्धारित वर्गों के अनुसार पूँजीगत सब्सिडी के लिए पात्र हैं। पात्र पर्यटन इकाई के वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने के उपरान्त पूँजी निवेश सब्सिडी राशि का 100 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

Investment amount (INR crore)	Subsidy percentage	Ceiling subsidy (INR crore) (Whichever is lower)
10 lakhs - Upto 10 crore	25%	2.0 crore
Upto 50 crore	20%	7.5 crore
Upto 200 crore	15%	20.0 crore
Upto 500 crore	10%	25.0 crore
More than 500 crores	10%	40.0 crore
निवेश लागत	सब्सिडी का प्रतिशत (₹ करोड़ में)	अधिकतम देय धनराशि (₹ करोड़ में)
₹ 10 लाख से 10 करोड़ तक	25	02
₹ 10 करोड़ से अधिक तथा ₹ 50 करोड़ तक	20	7.5
₹ 50 करोड़ से अधिक तथा ₹ 200 करोड़ तक	15	20
₹ 200 करोड़ से अधिक तथा ₹ 500 करोड़ तक	10	25
₹ 500 करोड़ से अधिक	10	40

7.3. additional capital subsidy

अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान

Criteria for Additional subsidy

Eligible Tourism unit undertaken by Women/SC/ST

Additional subsidy against Investment amount of the tourism unit

5%

Eligible Tourism unit established in any FTD

5%

अतिरिक्त सब्सिडी के लिए मानदंड

महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

पर्यटन इकाई की निवेश राशि के सापेक्ष अतिरिक्त सब्सिडी द्वारा शुरू की गई पात्र पर्यटन इकाई

5%

किसी भी 'एफटीडी' में स्थापित पात्र पर्यटन इकाई

5%

note | नोट

Eligible and ineligible components of the Investment amount will be mentioned in the guidelines. The sum of all incentives mentioned in this policy will be capped at maximum of 30%.

पर्यटन नीति के दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स में निवेश राशि के पात्र और अपात्र घटकों का उल्लेख किया जाएगा। इस नीति में वर्णित सभी प्रोत्साहनों का योग अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।



7.4. interest subsidy to eligible tourism units

पात्र पर्यटन इकाइयों को ब्याज अनुदान

Interest Subsidy will be given on a loan taken from an RBI approved Scheduled Commercial Bank (SCB) in the name of a registered eligible tourism unit in the state, upto maximum of INR 5 crore subject to 5% interest and capped at INR 25 lakh per annum. Interest subsidy will be provided only on the amount of loan that is utilized for expenditure on eligible components.

RBI द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) से राज्य में स्थापित की जाने वाली पंजीकृत पात्र पर्यटन इकाई के नाम पर लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक 5 प्रतिशत ब्याज के अधीन है और अधिकतम रुपये 25 लाख प्रति वर्ष देय होगा। पात्र घटकों पर व्यय के लिए उपयोग किए गए ऋण की राशि पर ही ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

टू — note

Eligible and ineligible components of the Investment amount will be mentioned in the guidelines. The sum of all incentives mentioned in this policy will be capped at maximum of 30%. All projects in PPP mode with any agency/department/authority of Government of Uttar Pradesh shall be able to avail subsidies permissible under this Policy.

एकल इकाई को बहु पर्यटन परियोजनाओं के अंतर्गत पूँजी निवेश अनुदान नहीं दिया जाएगा। पूँजी निवेश सब्सिडी आवेदन करने वाली इकाई ब्याज सब्सिडी हेतु अहं नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी एजेंसी/विभाग/प्राधिकरण के साथ पीपीपी मोड में सभी परियोजनाएं इस नीति के तहत अनुमत्य सब्सिडी का लाभ उठाने हेतु अहं होंगी।

7.5. stamp duty exemption

स्टाम्प छूटी छूट

Eligible Tourism Units will qualify for 100% exemption of stamp duty and registration fee on sale/lease/transfer of land for the first transaction only during the operative period of this Policy. The eligible tourism unit can avail this incentive only once. The unit shall submit a bank guarantee in prescribed format to the concerned District Magistrate where the project is located. The validity period of such Bank Guarantee shall be at least till the date of commencement of operation.

पात्र पर्यटन इकाइयाँ इस नीति की संचालन अवधि के दौरान प्रथम भूमि के क्रय/लीज/ट्रांसफर पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट के लिए पात्र होंगी। पंजीकृत इकाई द्वारा यह छूट मात्र एक बार ही प्राप्त की जा सकेगी। उक्त छूट हेतु आवेदक को समकक्ष धनराशि के सापेक्ष बैंक गारंटी, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। बैंक गारंटी की न्यूनतम सीमा इकाई के संचालन प्रारम्भ करने की तिथि तक होगी।



7.6. conversion and development charges

भू-उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क

Land use conversion and development charges shall be waived off for all new and expansion tourism units (all leasehold tourism units will be allowed freehold status as per the by-laws/rules of the Development Authorities). In case of tourism units being established at places where there is absence of required infrastructure, the infrastructure such as road, drainage, sewage, electricity and water supply shall be done by the developer; an affidavit regarding this shall be provided to avail waiver of land conversion and development charges from concerned departments.

सभी नई और विस्तार कर रही पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क माफ किया जाएगा (लीजहोल्ड पर्यटन इकाइयों को विकास प्राधिकरण के उप-नियमों के अनुसार फ्रीहोल्ड की अनुमति दी जाएगी)। जिन पर्यटन इकाइयों की स्थापना ऐसे स्थलों पर की जा रही है, जहां बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि सुविधायें न हो, उक्त पर्यटन इकाइयों के उद्यमी द्वारा सभी वर्णित आवश्यकताओं का प्रबन्ध स्वयं किया जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर इकाई को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त होगी।

7.7. employment generation subsidy

रोजगार सृजन पर ई०पी०एफ० सब्सिडी

100% Reimbursement of EPF expenditure (Employer's contribution) for a period of 5 years for workers who are domicile of the State of Uttar Pradesh to eligible tourism units employing more than 50 employees.

50 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली इकाइयों को राज्य के मूल निवासी श्रमिकों को नियोजित करने पर उन श्रमिकों के लिए 5 साल की अवधि तक ई०पी०एफ० व्यय में नियोक्ता के योगदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.8. special incentive for specially abled friendly units

दिव्यांग अनुकूल इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन

Payroll assistance of INR 1,500 per month per worker to eligible tourism units employing specially abled workers, subject to a maximum of 5 workers in a unit.

दिव्यांग श्रमिकों को रोजगार देने वाली इकाइयों को प्रति इकाई अधिकतम पांच श्रमिकों के लिए प्रति कर्मचारी ₹ 1500/- (पन्द्रह सौ रुपये) प्रति माह की पे-रोल सहायता मिलेगी।

7.9. specific incentives

विषिष्ट प्रोत्साहन

Payroll assistance of INR 1,500 per month per worker to eligible tourism units employing specially abled workers, subject to a maximum of 5 workers in a unit.

दिव्यांग श्रमिकों को रोजगार देने वाली इकाइयों को प्रति इकाई अधिकतम पांच श्रमिकों के लिए प्रति कर्मचारी ₹ 1500/- (पन्द्रह सौ रुपये) प्रति माह की पे-रोल सहायता मिलेगी।

7.91 incentives to support in reviving scarce art, culture and cuisine of the state

राज्य की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला, संस्कृति और व्यंजनों का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रोत्साहन

One time grant upto INR 5 Lakh will be granted to individual/group involved in conservation, promotion and revival of scarce or endangered indigenous art, music, craft, folk dance, and cuisine of Uttar Pradesh within a range of 50 kms from famous tourist destinations. The Department of Tourism in consultation with the Culture Department will notify list of scarce art, culture, craft, and cuisine to be promoted in the State. The Department of Tourism may modify this list from time to time.

The incentive will be limited to only 10 individuals/groups per year per division on First cum First Serve basis as per the recommendation of District Tourism and Culture Council.

अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय महत्व के प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य स्थलों के आसपास 50 किमी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थानीय पारंपरिक और दुर्लभ व लुप्तप्राय कला, संगीत, शिल्प, लोक नृत्य और व्यंजनों के संरक्षण, संवर्धन व पुनर्जीवित करने में शामिल व्यक्ति/समूह को ₹ 5 लाख (पांच लाख रुपये) तक का एकमुश्त अनुदान दिया जायेगा। वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संस्कृति विभाग के समन्वय से ऐसी दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला, संगीत, शिल्प, लोक नृत्य और व्यंजनों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा अनुशंसा प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक मण्डल के अधिकतम 10 आवेदकों को (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) देय होगा।

7.92 specific incentives for responsible tourism

उत्तरदायी पर्यटन के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन

- a. Eligible tourism units would be reimbursed up to 75% of the cost of carrying out energy audit on water harvesting/conservation and environment-friendly practices like green buildings, solar and other renewable energy measures, by a recognized institution/consultant, subject to a maximum amount of INR 1 lakh per unit. Amount shall be disbursed only once for a tourism unit during the operative period of the policy.
- b. Reimbursement of 20% of the capital cost of setting up sewage treatment plant subject to a maximum of INR 20 Lakh per tourism unit. The reimbursement will be given to a maximum of 2 tourism units per year.
- c. Reimbursement of 50% of the certification fee paid, up to Rs 10 lakh to tourism units obtaining Green Building Certificate from accredited agencies like Indian Green Building Council (IGBC)/Green Rating Integrated Habitat Assessment (GRIHA)/Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) or any such international accreditation/certification as identified and notified by the Department of Tourism from time to time.
- d. Reimbursement of 50% of certification fees paid, up to Rs 5 Lakh to tourism units for obtaining GSTC (Global Sustainable Tourism Council) certification through GSTC accredited agencies.



- पात्र पर्यटन इकाइयों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/सलाहकार द्वारा जल संचयन/संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं जैसे:- हरित भवनों (Green Buildings), सौर, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपायों (Renewable Energy Unit) की ऊर्जा सम्परीक्षा करने की लागत का 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो प्रति इकाई अधिकतम ₹ 01 लाख (एक लाख रुपये) तक होगी। यह धनराशि नीति की परिचालन अवधि के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।
- सीवरेज उपचार संयंत्र की स्थापना की पूँजीगत लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम ₹ 20 लाख (बीस लाख रुपये) की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह अनुदान प्रति वर्ष अधिकतम दो व्यक्तिगत इकाइयों को ही देय होगा।
- मान्यता प्राप्त एजेंसी जैसे- आई0जी0बी0सी0 ; (Indian Green Building Council)/जी0आर0आई0एच0ए0 ; Green Rating Integrated Habitat Assessment/एल0ई0ई0डी0 (Leadership in Energy and Environmental Design) तथा पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर चिह्नित और अधिसूचित ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता/प्रमाणन से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पर्यटन इकाई को 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 10 लाख (दस लाख रुपये) रुपये तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- ग्लोबल स्टेनेबल ट्रूरिज़म काउंसिल (GSTC) की मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹ 5 लाख (पांच लाख रुपये) तक प्रदान की जायेगी।

7.9.3 **specific incentives for ICT (information and communications technology) enablement**

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन

- In order to encourage usage of ICT in the tourism sector, the State Government will facilitate and support organization of such national and international tour & travel marts, seminars, exhibitions and other events in Uttar Pradesh which employ digital platforms and new Information Technology. Financial assistance of upto INR. 10 lakhs per such event shall be provided on approval of State level committee.
 - Tour and travel operators will be eligible to receive a onetime financial incentive of INR. 10 lakhs or 25% of production cost of audio/video guide, digital publicity material (digital platform/mobile application/website/metaverse), artificial intelligence, robotics, virtual reality whichever is lower.
- राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में आई0सी0टी0 के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के टूर व ट्रैवल मार्ट्स सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और अन्य आयोजनों जिनमें डिजिटल प्लेटफार्म व नवीन सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जायेगा को विधिवत सुविधा और समर्थन देगी। इस तरह के टूर व ट्रैवल मार्ट्स के आयोजन के लिए राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पर प्रति कार्यक्रम अधिकतम ₹ 10 लाख (दस लाख रुपये) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
 - टूर व ट्रैवल ऑपरेटर्स ऑडियो/वीडियो गाइड तथा डिजिटल प्रचार-प्रसार सामग्री (Digital Platform/Mobile app/website/Metaverse) आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी (Artificial Intelligence, Robotics, Virtual Reality) के निर्माण (Digital) की लागत के 25 प्रतिशत या ₹ 10 लाख (दस लाख रुपये), जो भी कम हो, की सीमा तक एक बार सहायता पाने के पात्र होंगे।

7.9.4 **innovation specific incentives**

नवाचार विशिष्ट प्रोत्साहन

A one-time incentive upto INR. 50,000 would be provided to eligible tourism units for new and innovative projects; to be disbursed after the successful commissioning of the Project. Due recognition and publicity will be accorded by the State Government to innovative projects. The approval of this incentive will lie at the discretion of the SLSTC.

अभिनव प्रयास अथवा नवाचार करने वाली नवीन परियोजनाओं के लिए पात्र पर्यटन इकाइयों को एकमुश्त प्रोत्साहन अधिकतम ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन परियोजना के सफलतापूर्वक चालू होने के बाद वितरित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा उन्नत, विकासशील परियोजनाओं को उचित मान्यता प्रदान की जाएगी एवं प्रचार-प्रसार किया जायेगा। नवाचार घोषित करने संबंधी निर्णय शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।

7.9.5 **marketing and promotion incentives**

विषयन और संवर्धन प्रोत्साहन

All Tourism Service Providers operating in the state and registered with Department shall be eligible for a financial incentive upto 50% of the space rent actually paid subject to a maximum of INR 30,000 per national event or INR 1,00,000 per international event. This incentive can be availed by maximum 20 tourism service providers every financial year. At the beginning of each financial year, the State Department will notify the name and number of such domestic and international travel marts and roadshows for which this incentive will be provided.

This incentive will be provided to maximum 3 firms per event on first cum first serve basis. This incentive will be provided for participation in only such events in which Department of Tourism, Uttar Pradesh has not taken a pavilion.

विभाग में पंजीकृत सभी पर्यटन सेवा प्रदाता इस प्रोत्साहन के पात्र होंगे। ट्रैवल मेलों/ट्रैवल ट्रेड मार्ट्स में लिए गए स्थान के किराए के रूप में किए गए वास्तविक भुगतान का 50 प्रतिशत, जो प्रति राष्ट्रीय आयोजन अधिकतम ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) या प्रति अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ₹ 1,00,000 (एक लाख रुपये) तक सीमित है। यह प्रोत्साहन नीति की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार केवल 20 टूर व ट्रैवल ऑपरेटरों को दिया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के टूर व ट्रैवल मार्ट्स की शुरुआत में विभाग इस प्रकार के अनुदान हेतु अनुमन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के नाम और संख्या की सूचना जारी करेगा।

यह प्रोत्साहन प्रत्येक आयोजन/ट्रैवल मार्ट्स के लिए “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर अधिकतम तीन फर्मों को प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का जिन ट्रैवल मेलों/मार्ट्स में पेवेलियन ना होने पर भाग लेने वाले टूर व ट्रैवल ऑपरेटरों को यह प्रोत्साहन देय होगा।



7.9.6 assistance for research in the tourism | hospitality industry

पर्यटन | आतिथ्य उद्योग में शोध के लिए सहायता

Financial assistance up to the maximum limit of INR 10 Lakh will be provided to recognized Travel Associations/Hotel Associations/Chamber of Commerce/Other Travel and Hospitality Bodies/reputed & registered NGOs (such as Worldwide Fund for Nature, Turtle Conservation, Heritage conversion, Wildlife, Craft, etc), Management Institutes and Universities to carry out market research studies on travel and tourism/hospitality sector in Uttar Pradesh.

The topic of the research would be finalized as per the relevance and requirements of the industry. Not more than 5 (five) such studies will be sanctioned each year. Preference to be given to research conducted via recognised hospitality.

उत्तर प्रदेश में यात्रा और पर्यटन/आतिथ्य क्षेत्र पर शोध/अध्ययन करने के लिए मान्यता प्राप्त यात्रा संघों/होटल संघों/चैम्बर ऑफ कॉर्मस/विश्वविद्यालयों/प्रबंधन संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों (जैसे- वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर, कछुआ संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, वाइल्ड लाइफ, क्राफ्ट आदि) अन्य यात्रा और आतिथ्य संगठनों को अधिकतम ₹ 10,00,000 (दस लाख रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मान्यता प्राप्त आतिथ्य संघ और पर्यटन/आतिथ्य/प्रबंधन के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से किए गए शोध को वरीयता दी जाएगी।

अनुसंधान के विषय को उद्योग की प्रासंगिकता और आवश्यकताओं के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्ष में ऐसे पांच ही अध्ययन स्वीकृत किए जाएंगे।

7.9.7 assistance for YUVA tourism

युवा पर्यटन

A onetime grant of INR 10,000 for one year will be provided to youth clubs constituted within government intermediate schools (GIC/GGIC)/Rajkiya Degree College/Navodaya Vidyalaya/Kendriya Vidyalaya/Shramik school (Atal)/Educational institutions such as Kasturba Gandhi Vidyalaya etc. for tourism related activities (e.g. conducting tour trips around the State and implement tourism activities in schools/district level with children). This grant will be provided to maximum 10 such clubs in a division per year on the recommendation of the District Magistrate. One educational institution will receive this grant only once in a year.

प्रत्येक जनपद के सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों (GIC/GGIC)/राजकीय डिग्री कॉलेज/नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय स्कूल/श्रमिक स्कूल (अटल), कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों को पर्यटन संबंधित गतिविधियों (Yuva Tourism Activities) के संचालन हेतु ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। एक मण्डल में एक वर्ष में अधिकतम 10 ऐसे क्लबों को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति पर सहायता प्रदान की जायेगी। किसी शैक्षणिक संस्थान को वर्ष में एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।



government facilitation

सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें

The Department of Tourism, Uttar Pradesh is determined to imbibe the following guidelines to boost tourism and investments in the State.

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं को लागू करने के लिए कृतसंकल्प हैं:

8.1. state tourism awards

राज्य पर्यटन पुरस्कार

State Tourism awards shall be awarded to provide recognition to extra-ordinary initiatives and service quality executed by various tourism businesses in the state. This shall further encourage innovation and attract/promote investment and responsible tourism in the state. Every year, the Department will announce upto maximum of 10 awards. Each awardee shall be felicitated with a prize money of upto Rs. 1 lakh along with certificate of recognition/memento on the occasion of World Tourism Day or National Tourism Day or Uttar Pradesh Diwas in the categories such as Best tour operator/Best wellness center/Best hotel/Best heritage hotel/Best eco-tourism operator/Best eco-resort/Best homestay/Best adventure tour operator or in such other categories as the Department of Tourism deems fit.

राज्य में विभिन्न पर्यटन व्यवसायों द्वारा संचालित असाधारण पहलों और सेवा की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए बेस्ट टूर ऑपरेटर/बेस्ट वेलनेस सेंटर/बेस्ट होटल/बेस्ट होरिटेज होटल/बेस्ट ईको-ट्रिजम ऑपरेटर/बेस्ट इको रिसॉर्ट/बेस्ट होमस्टे/बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर आदि को राज्य पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निवेश और उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 10 होगी एवं प्रत्येक पुरस्कार अधिकतम ₹ 1,00,000 (एक लाख रुपये) की धनराशि व प्रमाण पत्र/सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह सहित, विभाग द्वारा 'उत्तर प्रदेश दिवस', 'विश्व पर्यटन दिवस' अथवा 'राष्ट्रीय पर्यटन दिवस' के अवसर पर वर्ष में एक बार प्रदान किया जायेगा।

8.2. tourism police

पर्यटन पुलिस

The department will take action to deploy tourism police at newly developing international tourist destinations like Chitrakoot, Naimisharanya, Mirzapur, Kushinagar, Ayodhya, Kapilavastu, Garhmukteshwar, etc. for the convenience and safety of tourists in the State.

पर्यटन विभाग प्रदेश में पर्यटकों के सुविधार्थ व सुरक्षा हेतु पर्यटन की दृष्टि से नवाचारित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्यों जैसे-चित्रकूट, नैमिषारण्य, मीरजापुर, कुशीनगर, अयोध्या, कपिलवस्तु, गढ़मुक्तेश्वर आदि स्थलों पर पर्यटन पुलिस को तैनात किये जाने हेतु कार्यवाही करेगा।



8.3. driving investment in tourism sector at uttar pradesh

उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना

The Government of Uttar Pradesh is committed to facilitate a conducive environment for the establishment and operation of Tourism projects in Uttar Pradesh. The department accords highest priority to facilitation of ease of doing business in Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग उत्तर प्रदेश में 'ईज ऑफ फ्लूइंग बिजनेस' को सुगम बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

1. Ease of Doing Business | व्यापार करने में आसानी

The Government aims at creating conducive business friendly environment in the State by ensuring simplification of procedures, timely clearances benchmarked with the best and responsive facilitation services.

"Simplified procedures" and "time bound clearances" are the prime intentions for facilitating the investor. The department intends to regularly review its acts, rules, application forms and procedures and wherever possible i.e., rationale or abolish or amend as per existing regulatory regime and introduce provisions related to self-certifications, deemed approval and third-party certification wherever required.

सरकार का उद्देश्य प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम और उत्तरदायी सुविधा सेवाओं के साथ ही समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करके राज्य में व्यापार अनुकूल (Business Freindly) वातावरण बनाना है।

निवेशकों के सुविधार्थ 'सरलीकृत प्रक्रियाएं' और 'समयबद्ध स्वीकृतियां' इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। विभाग नियमित रूप से आवश्यकतानुसार अपने अधिनियमों, नियमों, उप नियमों, आवेदन प्रपत्रों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा तथा नियमानुसार तर्कसंगत समाप्ति/संशोधित करेगा।

2. Investment facilitation | निवेश सुविधा

Furthermore, to address challenges being faced by the Investors at various stages of projects/investments, the department shall set up an Investment Facilitation Centre which shall facilitate and share information on areas open for investment, incentives, investment summits and fairs etc.

The Department of Tourism will launch a UP Tourism Investor Facilitation Cell which will act as a converging body to monitor the sector progress within the state. The major functions will include:

उद्यमियों/निवेशकों द्वारा परियोजनाओं/निवेशों के विभिन्न चरणों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विभाग एक निवेश सुविधा केंद्र (Investment Facilitation Center) स्थापित करेगा जो निवेश, प्रोत्साहन, निवेश शिखर सम्मेलनों और मार्ट आदि के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी को सुविधाजनक और साझा करेगा।

पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश पर्यटन निवेशक सुविधा सेल का गठन करेगा जो राज्य में पर्यटन के निवेश क्षेत्र की प्रगति की निगरानी के लिए एक अनुश्रवण समिति के रूप में कार्य करेगा। जिसके प्रमुख कार्य निम्नवत होंगे:

- a. Attract fresh investments in the tourism sector and develop the brand of Uttar Pradesh as the most favored global tourist destination
- b. Act as a one stop connect for providing relevant information to the investors regarding information on the business approvals required for starting a business in the state.
- c. Data collection, market research and analysis, and publish periodical reports on the developments of the tourism in the state
- d. Provide advisory services for private sector participation in the developmental projects carried out across the state of Uttar Pradesh
- e. Attract private sector participation for infrastructure development projects
 1. पर्यटन क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना और उत्तर प्रदेश के ब्रांड को सबसे पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
 2. राज्य में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यकतानुसार व्यावसायिक स्वीकृतियों की जानकारी के संबंध में निवेशकों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए वन स्टॉप कनेक्ट (One Stop Connect) के रूप में कार्य करना।
 3. राज्य में पर्यटन के विकास सम्बन्धी डेटा संग्रहण, मार्केट अध्ययन/शोध और विश्लेषण करते हुए आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।
 4. उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई जा रही विकासात्मक परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सुझाव सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना।
 5. अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करना।



3. Single Window | एकल खिड़की

Government of Uttar Pradesh will strive to achieve an effective IT enabled single point processing mechanism for services/clearances/approvals/permissions/licenses. It shall be linked to the Nivesh Saarthi/Nivesh Mitra portal by Invest UP to convert MoUs into tangible investments in the State. The introduction of a single window system shall lead:

उत्तर प्रदेश सरकार सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदन/अनुमति/लाइसेंस के लिए एक प्रभावी आईटी सक्षम एकल बिंदु प्लैटफार्म तंत्र का निर्माण करेगी। एम आयू को राज्य में धरातल स्तर पर निवेश में बदलने के लिए इसे इन्वेस्ट यूपी द्वारा संचालित निवेश सारथी/निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम के निम्नवत कार्य होंगे:

- a. To reduced delays, cutting costs and improved efficiency in processing various applications
 - b. To a single source of information on licenses, processes, documents, and requirements
 - c. To increased transparency through application tracking and status checks.
1. विभिन्न प्राप्त आवेदनों में त्वरित कार्यवाही, लागत में कटौती और बेहतर दक्षता को अपनाएगा।
 2. लाइसेंस, प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी का एकल स्रोत।
 3. एप्लिकेशन ट्रैकिंग और अनुश्रवण तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना।



4. Coordination with other Departments | अन्य विभागों के साथ समन्वय

Further, the Tourism department shall work with other relevant line departments at state and district level to further streamline the regulations and their implementation with focus on deploying digital technologies and alignment on speedy approvals.

डिजिटल तकनीकों तथा त्वरित क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यटन विभाग राज्य और जिला स्तर पर अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ताकि प्रदेश में अत्यधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विनियमों को और कारगर बनाया जा सके।

8.4. allotment of government land for tourism units

पर्यटन इकाइयों के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराना

The State Government will assist in providing land for establishment and development of all types of Tourism Units. The Department of Tourism shall strive for following in this regard:

राज्य सरकार वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रकार की पर्यटन इकाइयों की स्थापना और विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी, जिनका विवरण निम्नवत है:

- a. Land suitable for establishment of tourism units shall be earmarked for department of tourism. The details of such land will be made available on the website of Department of Tourism.
 - b. The land, so identified will be allocated at market rates by the prescribed District Level Committee following the pre-decided procedure.
 - c. Land made available in this manner cannot be used for any purpose other than the one for which it has been allocated for at-least 30 years.
1. पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि पर्यटन विभाग के लिए चिह्नित की जाएगी। ऐसी भूमि का विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
 2. इस प्रकार चिह्नित की गई भूमि को निर्धारित जिला स्तरीय समिति द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बाजार दर पर आवंटित किया जाएगा।
 3. इस नीति के तहत उपलब्ध कराई गई भूमि का उपयोग कम से कम 30 वर्षों के लिए आवंटन प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

“

Sri Harsha, the author of Naishadhacharita,
while describing Kashi, has written:

वाराणसी निविशते न वसुंधरायां तत्र स्थितिर्मखभुआं भवने निवासः ।
ततीर्यमुक्तवपुषामत एवं मुक्तिः स्वर्गात् परं पदमुपदेतु मुदेतुकीटक ॥

Means: Kashi is present in the whole India as its replica. She is the Mokshadayini (liberator) who ends all sorrows. It is located outside this planet. It is not situated on earth. Kashi evolved over time in different periods. It is believed that the one who leaves his mortal body in Kashi, Lord Shiva blows Mukti Mantra in his ear and the person becomes free from all sins. That is why it is also called the city of salvation or Mokshadayini.



institutional mechanism

संस्थागत तंत्र

9.1. state level committee | SLC

राज्य स्तरीय समिति

S.No.	Designation/Department	Title SLC
1	IIDC Infrastructure & Industrial Development Commissioner	Chairman
2	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development or a nominated Special Secretary	Member
3	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance or a Nominated Special Secretary	Member
4	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Culture, or a Nominated special secretary	Member
5.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Forest, or a nominated Special Secretary	Member
6.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Revenue, or a nominated Special Secretary	Member
7	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, MSME and Export Promotion, or a nominated Special Secretary	Member
8	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Tourism, or a nominated Special Secretary	Member Secretary

क्र.सं.	विवरण	पद
1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन विभाग, अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य सचिव

Roles and Responsibility | समिति के दायित्व

- Review, approve and sanction capital and interest subsidy for an amount more than INR 1 crore
- Other responsibilities as entrusted on the committee by the Government
- ₹ 01 करोड़ या अधिक के पूँजीगत अनुदान (Capital Subsidy) व ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) हेतु प्राप्त आवेदनों पर सब्सिडी दिये जाने पर निर्णय।
- राज्य सरकार द्वारा समिति को सौंपे गए अन्य दायित्व।

9.2. state level special tourism committee | SLSTC

राज्य स्तरीय विशेष पर्यटन समिति

S.No.	Designation Department	Title SLSTC
1	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Tourism	Chairman
2	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance or a Nominated Special Secretary	Member
3	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Information Technology or a Nominated Special Secretary	Member
4	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Forest, or a nominated Special Secretary	Member
5	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Culture, or a Nominated special secretary	Member
6	Principal, Hotel Management Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Lucknow	Member
7	Director General/Joint Director/Deputy Director, Directorate of Tourism	Member Secretary



क्र.सं.	विवरण	पद
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव वित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना तकनीकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
6	प्रधानाचार्य, होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ	सदस्य
7	महानिदेशक पर्यटन/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(संबंधित अधिकारी), पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

9.3. roles and responsibility समिति के दायित्व

- Review, approve and sanction all financial incentives to eligible tourism units
- Review, approve and sanction capital and interest subsidy upto INR 1 crore for all eligible tourism units
- Approve any new innovative ideas that are unique in nature
- Screen and approve any startups in the tourism sector
- Approval of Special Category Building
- Other responsibilities as entrusted on the committee by the Government

Note: The committee may also include experts/stakeholders from other fields of tourism, whenever required.



- पात्र पर्यटन इकाइयों को सभी वित्तीय प्रोत्साहनों की समीक्षा, अनुमोदन और स्वीकृति।
- सभी पात्र पर्यटन इकाइयों के लिए 1 करोड़ रुपये तक की पूंजी और ब्याज सब्सिडी की समीक्षा, अनुमोदन और स्वीकृति।
- किसी भी नवाचार विशिष्ट प्रोत्साहन हेतु प्रस्तुत विचारों को स्वीकृति प्रदान करना, जो प्रकृति में अद्वितीय हों।
- पर्यटन क्षेत्र में किसी भी स्टार्टअप को स्फीनिंग तथा स्वीकृति प्रदान करना।
- विशेष श्रेणी के भवन की स्वीकृति।
- सरकार द्वारा समिति को सौंपे गए अन्य दायित्व।

नोट- आवध्यकतानुसार समिति पर्यटन के अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों/हितधारकों को भी शामिल कर सकती है।

9.4. state level policy implementation committee | PIU राज्य स्तरीय नीति क्रियान्वयन समिति | पी०आई०य०

S.No.	Designation Department	Title SLSTC
1	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Tourism	Chairman
2	Director, Tourism	Member
3	Finance Comptroller, Tourism	Member
4	Command Centre, Department of Tourism The Command Centre will include a Project Management Agency and Project Monitoring Unit	Member
5	Joint Director/Deputy Director/Regional Tourism Officer, Policy Section, Directorate of Tourism	Member Secretary

क्र.सं.	विवरण	पद
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	निदेशक, पर्यटन	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक, पर्यटन	सदस्य
4	कमाण्ड सेन्टर, पर्यटन विभाग पी०एम०य० तथा पी०एम०ए० को कमाण्ड सेन्टर के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन नीति अनुभाग, पर्यटन निदेशालय	सदस्य सचिव

Note: The committee may also include experts/stakeholders from other fields of tourism, whenever required.

नोट: आवध्यकतानुसार समिति पर्यटन के अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों/हितधारकों को भी शामिल कर सकती है।

Roles and Responsibility | समिति के दायित्व

- Ensure effective functioning of the Single Window Clearance mechanism, resolve any queries, overcome hurdles, and expedite implementation on ground.
- Other responsibilities as entrusted on the committee by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Tourism
 - सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिजम के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे, जिसमें उद्यमियों/निवेशकों की बाधाओं/समस्याओं का समाधान, क्रियान्वयन में तेजी लाना सम्मिलित होगा।
 - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन द्वारा समिति को सौंपे गये अन्य दायित्व।





Reclining Buddha
Kushinagar

9.5. district tourism promotion council

जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद

District Tourism and Culture Council will work as District Tourism Promotion Council.

जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के रूप में कार्य करेगी।

Roles and Responsibility | भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

- a. Identify land parcels for tourism development in the district.
- b. Verification of investment proposals received by the Council.
- c. Facilitate convergence of resources of various agencies for the development of tourism infrastructure.
- d. Promote the development of tourism master plans for each district in coordination with other government agencies.
- e. Skill profiling of local population to create lists for guides, freelancers, photographers, homestay addresses and develop a tourism service provider database and create awareness among the public on tourism related matters.
- f. Contribute to the publicity and promotional material of DoT and encourage/facilitate travel writers, media for publicizing places of tourist interest of the district.
- g. Mobilize and enlist the local community stakeholders for specific areas/tourism destinations as per requirement.

1. जिले में पर्यटन विकास के लिए उपयुक्त भूखण्ड का विन्हीकरण करना।
2. परिषद द्वारा प्राप्त निवेश प्रस्तावों का सत्यापन।
3. पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर प्रक्रिया को सुगम बनाना।
4. पर्यटन मास्टर प्लान के विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जनपद में अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
5. गाइड, फ्रीलांसरों, फोटोग्राफरों, होमस्टेट हेतु सूची बनाने और पर्यटन सेवा प्रदाता डेटाबेस विकसित करने और पर्यटन संबंधी मामलों पर सामान्य जनमानस के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय आबादी की कौशल रूपरेखा तैयार करना।
6. पर्यटन विभाग के प्रचार-प्रसार सामग्री में योगदान देना तथा यात्रा लेखकों, मीडिया को जनपद के पर्यटन गंतव्यों के प्रचार-प्रसार हेतु प्रोत्साहन/सुविधा प्रदान करना।
7. आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों/पर्यटन स्थलों के लिए स्थानीय सामुदायिक हितधारकों को जुटाना और सूचीबद्ध करना।

9.6. amendment

संशोधन

Any Policy level decision on the above shall be referred to a committee (Empowered Committee) under the chairmanship of the Chief Secretary of Uttar Pradesh, on whose recommendation the final decision will be taken by the Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh. This shall be final and binding upon all concerned.

उपरोक्त नीति पर कोई भी नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को भेजा जाएगा, जिसकी अनुशंसा पर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया जाएगा। यह निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।



संख्या-4/2023/405/94-स्टाम्प-0-2-2023-700(47)/2023

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश शासन।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

लेखनक्र: दिनांक: 31 मार्च, 2023

विषय-राज्य में प्रख्यापित विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में अनुमन्य स्टाम्प शुल्क छूट लेने की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया,

उत्तर प्रदेश में उद्यम को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा पृथक-पृथक निवेश प्रेरक नीतियां एवं योजनाएं प्रख्यापित की गई हैं। उपरोक्त नीतियों एवं योजनाओं में से अधिकांश में भूमि के क्रय एवं अन्य संपत्ति संबंधित विलेखों पर स्टाम्प दर में छूट का प्रावधान किया गया है। उक्त को प्राप्त करने हेतु, एवं छूट की शर्तों का पालन न होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान स्पष्ट होना अति आवश्यक है।

वर्तमान में उपलब्ध नीतियों एवं योजनाओं के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शासनादेशों में स्टाम्प छूट की प्राप्ति की अस्पष्टता है। उक्त के दृष्टिकोण सभी योजनाओं में व्यक्त स्टाम्प छूट के प्रावधानों के संचालन में जटिलताओं को दूर करना एवं यथासंभव एकरूपता लाना तथा इस प्रक्रिया को उद्यमी के साथ-साथ क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों हेतु स्पष्ट बनाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत उद्यम प्रेरक नीतियों/योजनाओं के अन्तर्गत स्टाम्प छूट की प्राप्ति एवं नीति/योजना की शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही के विषय में निम्नवत प्रावधान स्थापित किए जाते हैं:-

यदि किसी नीति/योजना के प्रख्यापक विभाग की व्यवस्था में वर्णित प्रावधान इन प्रावधानों से विरोधाभासी अथवा विसंगत प्रकट होते हैं तो ऐसी दशा में इस शासनादेश के प्रावधान लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किसी भी नीति/योजना के सन्दर्भ में यह व्यवस्था उक्त नीति/योजना की अधिसूचना की तिथि से नीति/योजना में वर्णित (एवं यथासंशोधित) नीति/योजना के प्रभावी अवधि तक ही प्रभावी होगा।

1-प्रमाणीकरण संस्था/प्राधिकारी-

1.1- यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त किया जाना है, तो सम्बन्धित केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी अथवा संस्था प्रमाणीकरण संस्था होगी।

1.2- यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा भूमि निजी स्रोत से प्राप्त की जा रही है तो उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम/जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग का जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी प्रमाणीकरण प्राधिकारी होगा।

1.3- प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विकासकर्ता/इकाई का नाम, पता, विकासकर्ता/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉर्पोरेशन/लिमिटेड कम्पनी/को-आपरेटिव सोसायटी/स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग इत्यादि), पैन नम्बर, उद्यम पंजीकरण का विवरण एवं भूमि प्राप्त करने के प्रयोजन के आधार पर स्टाम्प शुल्क से छूट की धनराशि का प्रमाणक निर्गत किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण/प्रारूप संलग्नक-“क” में उल्लिखित है।

2-स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया-

2.1- छूट प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता/इकाई द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन किया जायेगा और परियोजना का प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-“क”) पर प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

2.2- विकासकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध पत्र (संलग्नक-“ख”) रु० 100/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा औद्योगिक पार्क/एस्टेट/एगो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने की वचन बद्धता होगी और शर्तों के उल्लंघन/दुरुपयोग तथा प्रयोजन पूर्ति में विलम्ब की स्थिति में स्टाम्प इयूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारंटी को भुनाकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

धनराशि को स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की शर्त का अनिवार्य रूप से उल्लेख होगा।

2.3- पक्षकार द्वारा प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा अनुबन्ध पत्र के साथ, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की Irrevocable बैंक गारंटी भी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी को निबन्धित किये जाने वाले विलेख के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

2.4- महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी अथवा जिलाधिकारी विलेख पर साक्षी के रूप में इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेंगे कि यह हस्तान्तरण/पट्टा संबंधित नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

3-बैंक गारण्टी-

3.1- सामान्यतः बैंक गारण्टी जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में बंधक रखी जायेगी। परन्तु यदि नीति/योजना में किसी अन्य प्राधिकारी/संस्था के पक्ष में बैंक गारण्टी बंधक रखने का प्रावधान है तो उक्त प्रावधान लागू होगा। परन्तु वह प्राधिकारी/संस्था जिला स्तर से अनिम्न होगा। बैंक गारण्टी संबंधित उप निबन्धक कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी।

3.2- बैंक गारण्टी विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1(बी) के अनुच्छेद-12(ए) के अधीन बैंक गारण्टी की धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु० 10,000/- तक स्टाम्प शुल्क देय होगा। शासकीय संस्था से भूमि आवंटन होने की दशा में भूमि पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी का आगणन सर्किल दर पर किया जायेगा जबतक वह प्रथम आवंटी न हो।

3.3- बैंक गारण्टी की अवधि नीति में निर्धारित अवधि से न्यूनतम एक वर्ष अधिक तक की होगी।

3.4- कतिपय नीति/योजना में स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। उन नीतियों/योजनाओं के अधीन लगायी जा रही इकाईयों के प्रकरण में बैंक गारण्टी नहीं ली जायेगी अपितु विलेख पर प्रभार्य पूर्ण स्टाम्प शुल्क यथाविधि प्राप्त किया जायेगा।

4- विलेख के निबन्धन के समय उपनिबन्धकों को निर्देश-

4.1- उप निबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि विलेख पर संबंधित नीति व संगत अधिसूचना के अधीन अन्तरण की पुष्टि व इस प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी अथवा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

4.2- उप निबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि भूखण्ड का आवंटन पूर्व में भी हुआ हो तो, वर्तमान आवंटी के पक्ष में निबन्धन के समय रु० 100/- के स्टाम्प पत्र पर पूर्व आवंटी व आवंटन करने वाली संस्था के मध्य समर्पण विलेख पंजीकृत हुआ है।

4.3- उप निबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक गारण्टी विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1(बी) के अनुच्छेद-12(ए) के अधीन बैंक गारण्टी की धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रु० 10,000/-) स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

4.4- उपनिबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि वर्तमान आवंटी के पक्ष में निबन्धन के समय भूखण्ड पर निर्माण व मरीनरी विद्यमान है तो यथाविधि प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अदायगी सहित हस्तान्तरण विलेख निबन्धित कराया गया है।

4.5- उप निबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक गारण्टी की अवधि नीति में उल्लिखित परियोजना के प्रकार एवं विशिष्टि के अनुसार निर्धारित अवधि (जो कि परियोजना के LetterLetter of comfort में वर्णित हो) से एक वर्ष अधिक की हो।

4.6- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त भूमि पर यदि पूर्व आवंटी द्वारा विगत 05 वर्ष में स्टाम्प शुल्क छूट ली गई थी तो राज्य के पक्ष में उसकी प्रतिपूर्ति कराने के पश्चात ही वर्तमान आवंटी को छूट देते हुए निबन्धन कराया जायेगा। निजी स्रोत से प्राप्त भूमि (क्रय/लीज) पर यदि विगत 05 वर्ष में किसी नीति अथवा योजना के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त की गई हो तो ऐसी दशा में वर्तमान में कोई स्टाम्प शुल्क छूट नहीं दी जायेगी।

4.7- उपनिबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि निबन्धन के समय विलेख के साथ भूखण्ड का छायाचित्र विलेख का भाग हो।

5-परियोजनाओं के प्रकार के आधार पर स्टाम्प शुल्क छूट हेतु भूमि के अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल का निर्धारण-

5.1- जो इकाईयां औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आती हैं, उन इकाईयों हेतु स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल पर ही मिलेगा, जो कि औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं०-1516/77-6-18-05(एम)/17 दिनांक 01-05-2018 (यथा संशोधित अथवा यथा प्रतिस्थापित) के अनुसार होगा।

5.2- अन्य विभागों के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाली इकाईयों के संबंध में यह अनुमन्य क्षेत्रफल इस निमित्त प्रख्यापित विभागीय शासनादेश के अनुसार होगा। परन्तु यदि इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

निमित्त कोई विभागीय शासनादेश जारी नहीं हुआ हो तो ऐसी दशा में प्रस्तर-5.1 के अन्तर्गत दी गई अधिकतम सीमा लागू होगी।

6-बैंक गारण्टी के संबंध में अवमुक्त/जब्त करने हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया-

6.1- बैंक गारण्टी को अवमुक्त अथवा जब्त किये जाने के संबंध में, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की अनुशंसा पर जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6.2- प्रयोजन की पूर्ति होने पर विकासकर्ता/इकाई द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न प्राधिकारी या संस्था के माध्यम से जिलाधिकारी (अध्यक्ष, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु) को बैंक गारण्टी वापस करने हेतु आवेदन पत्र दिया जायेगा।

6.3- महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए एक प्रमाण पत्र (संलग्नक-“ग”) के साथ जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, तथा जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6.4- ऐसी बैठक में उप निवन्धक तथा सहायक आयुक्त स्टाम्प एवं प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि को विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा।

6.5- समिति द्वारा प्रत्येक प्रस्तुत बैंक गारंटी उन्मोचन आवेदन पर परीक्षण प्रस्तर-7 एवं प्रस्तर-8 में उल्लेखित बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा। जो प्रकरण प्रस्तर-7 के समस्त अहताओं को पूर्ण करते हों, एवं साथ ही प्रस्तर-8 में उल्लेखित किसी भी अनरहता से आच्छादित ना हो, केवल उन्हीं प्रकरणों में बैंक गारंटी अवमुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

6.6- उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जिला उद्योग बन्धु समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा बैंक गारंटी अवमुक्त करने पर निर्णय लिया जाएगा।

7- बैंक गारण्टी अवमुक्त करने के आधार-बैंक गारण्टी को अवमुक्त किये जाने के संबंध में, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की अनुशंसा पर जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लिया जायेगा-

7.1- प्रकरण में नवीन इकाई की स्थापना की गई है, अथवा पूर्व से संचालित इकाई का विस्तारीकरण (यदि नीति/योजना एवं अधिसूचना में अनुमन्य है तो) किया गया है।

7.2- लिखत (Instrument) की प्रकृति स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की अधिसूचना में वर्णित अथवा प्रख्यापक विभाग की अधिसूचना में वर्णित प्रकृति की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

7.3- विलेख पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा यह पुष्टि करते हुए हस्ताक्षर किये गये हैं कि “यह विलेख (नीति या योजना का नाम) के अधीन कार्य हेतु निष्पादित की जा रही है।”

7.4- निर्धारित अवधि के अन्दर उस प्रयोजन की पूर्ति की गई हो/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो, जिसके लिए छूट ली गई है।

7.5- निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं प्रयोजन पूर्ति किये जाने का प्रमाणक (द्वारा उपायुक्त उद्योग/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी), एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

7.6- नीति/एस०ओ०पी० एवं उसके अधीन समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लिया गया हो। समिति को विभाग के अधितन शासनादेशों के विषय में अवगत कराने का उत्तराधित्य प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न अधिकारी का होगा।

7.7- बैंक गारण्टी अवमुक्त करने के उपरोक्त आधारों की पूर्ति न होने पर बैंक गारण्टी जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके आधार प्रस्तर-8 में उल्लिखित हैं।

8-बैंक गारण्टी जब्त करने के आधार- बैंक गारण्टी को जब्त किये जाने के संबंध में, जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की अनुशंसा पर जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लिया जायेगा-

8.1- लिखत (Instrument), यदि अधिसूचना में उल्लिखित हस्तान्तरण/पट्टे की लिखत (Instrument) से भिन्न है,

8.2- लेखपत्र पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/जिला मजिस्ट्रेट एवं यदि नीति/योजना का प्रख्यापक विभाग, उद्योग विभाग से भिन्न हो तो प्रख्यापक विभाग के जनपद स्तर से अनिम्न अधिकारी के द्वारा, इस टिप्पणी के साथ पुष्टि नहीं की गई हो कि “यह विलेख (नीति या योजना का नाम) के अधीन कार्य हेतु निष्पादित की जा रही है।”

8.3- पूर्व से स्थापित व संचालित इकाई के विक्रय/अन्तरण के क्रम में होने वाले पट्टे अथवा बैनामे पर या किसी अन्य गलत तथ्यों के आधार पर छूट ली गई है।

8.4- निर्धारित अवधि के अन्दर प्रयोजन की पूर्ति नहीं की गई है/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

8.5- जिस प्रयोजन के लिए छूट ली गई है, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु भूखण्ड का उपयोग किया जा रहा है,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

8.6- अधिसूचना व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लेखित किसी अन्य शर्त का उल्लंघन किया गया है अथवा मांगने पर वांछित अभिलेख व सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

8.7- यदि इकाई द्वारा नीति में निर्धारित अवधि में प्रयोजन पूर्ति नहीं की जाती है तो उपायुक्त उयोग/प्रख्यापक विभाग के जनपद स्तर से अनिम्न अधिकारी के द्वारा, 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के उपायुक्त लेखाशीर्षक में जमा कराया जा सके।

कृपया उपरोक्त प्रावधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीया,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2023/405(1)/94-स्टानिंग-2-2023 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद।
- 4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-समस्त महाप्रबन्धक, जिला उयोग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
- 6-प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 7-स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद।
- 8-प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9-विशेष कार्याधिकारी, कृषि विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 10-प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 11-प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.ए. कानपुर।
- 12-प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
- 13-औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

14-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्टिगेटर, लखनऊ।

15-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/सीडा/लीडा।

16-समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश सहित कि शासनादेश व अधिसूचनाओं को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करायें।

17-गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

संलग्नक-क

".....नीति 20...." के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु दिये गये आवेदन-पत्र पर प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र

- विकासकर्ता/इकाई का नाम-.....
- विकासकर्ता/इकाई का पता.....
- विकासकर्ता/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन लिमिटेड कम्पनी को-आपरेटिव सोसायटी/स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग).....
- पैन नम्बर.....
- विकासकर्ता/इकाई के स्वामी/प्रवर्तक साझेदारों/निदेशकों के नाम पता एवं सम्पर्क विवरण (निवास के प्रमाण सहित).....
नाम.....
पता.....
आधार संख्या.....
दूरभाष संख्या.....
फैक्स संख्या.....
मोबाइल संख्या.....
- ई-मेल.....
वेबसाईट.....
संख्या.....
- उद्यम पंजीकरण का विवरण.....
दिनांक.....
(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)
- पंजीकृत उत्पाद एवं क्षमता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

government order with respect to stamp duty exemption

- भूमि अथवा शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन.....
- औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा औद्योगिक पार्कों एस्टेटों/एग्रो पार्क के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि.....
- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था का नाम जहाँ से भूमि अथवा शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट लीज पर प्राप्त किया गया है.....
- वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो/जा रहा हो.....
- वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक..... (साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)
- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि.....
- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था निजी स्रोत से भी भूमि अथवा शेड/सौर पर प्राप्त किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण (साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें).....
- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमिशेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण.....

भूमिशेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण(खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में एवं दर	भूमिशेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का कुल मूल्य
1		
2		
3		
योग		

प्रमाणित किया जाता है कि विकासकर्ता/इकाई द्वारा दिये गये संलग्न अनुबंध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये विक्रम/पद्य विलेख के निबन्धन की तिथि से नीति में निर्धारित अवधि अधिकतम.....के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

government order with respect to stamp duty exemption

अथवा औद्योगिक पार्को एस्टेटो/एमो पार्को के विकास से सम्बन्धित कर्ता/इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आशासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टाम्प इयूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गरण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है।

विकासकर्ता/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तय समस्त अंकित विवरण सत्य है जिसके आधार पर स्टाम्प इयूटी में देय कुल रूपये.....की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक-

स्थान-

government order with respect to stamp duty exemption

संलग्नक-ख

DRAFT AGREEMENT

(On Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/-)

This agreement made on this..... day of.....in the year.....Between M's.....a firm/company/a society incorporated and registered under the Company Act 1956 (1 of 1956)/Society Registration Act 1860/ Indian Partnership Act-1860 and having its registered office at.....(hereinafter called "the Allottee" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns through ShriOwner/Directors authorized by the Board of Directors of the company/society vide Resolution passed in the behalf on, of the.....One Part.

And the.....a statutory body established under theAct and having its head office at.....(hereinafter called "the Certifying Agency" which expression shall include the Chairman/Managing Director or any authorised by the Board of Director) of the Other Part.

WHEREAS:

1-The Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the state government") has furnished a scheme to remit stamp duty to the extent shown in notification no, dated-..... specified purpose. Chargeable in respect of the instruments as shown in notification Policy 20.....of the State mentioned in notification of the said schedule to setup a new Industrial unit or an un making expansion or diversification thereof.

2-The certifying agency has been appointed by the State Government for operating this scheme.

3-The Allottee has applied for purchase or lease of land, shed or industrial tenement for the purpose specified as.....(to established new industrial unit or making expansion or diversification of an unit or for the development of infrastructure facilities in the State) as specified in their project report.

4-The total requirement of land or shed or industrial tenement for the purpose specified.....and has been allotted.....acres of land for which exemption of stamp duty of Rs..... required/ applied for.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep. up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep. up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

government order with respect to stamp duty exemption

5. That the Allottee has applied for the stamp duty exemption Rs..... under the scheme vide his application dated..... enclosing project report.

6. That the certifying agency, after considering the application and records provided by the Allottee and examining the requirement of land or shed or industrial tenement for the purpose specified, is ready to certify and execute the agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH

1-In pursuance of the sold Agreement, Certifying Agency, the Allottee, hereby covenants -

A. That the Allottee, in case of an industrial unit, will start commercial production, and in case unit is established for any other specified purpose mentioned in the industrial policy, fulfils the said purpose within years as given in said policy from the date of execution of the instruments of sale/lease-deed by the sub-registrar of registration department.

B. That the Allottee will provide an Irrevocable Bank Guarantee in favour of D.M. or Officers of concerning department not below then district level for an amount equal to the amount of exemption from Stamp Duty.

C. That the Allottee will comply with, and faithfully observed all the rules & regulations, relating to the abovesaid scheme, and also all subsequent amendments & additions, as may be inserted by the Order of the State Government.

D. That the Allottee will allow the Officers of the Certifying Agency or concerned General Manager of District Industries Centre or by the State Government to inspect the progress of the unit.

2- It is further hereby agreed & declared by, and between the parties hereto that in any of following cases namely,

a. Where the Allottee fails to furnish the prescribed statement and/or information which is called upon to furnish, or

b. Where the Allottee has obtained the stamp duty exemption by misrepresentation or by furnishing of false information,

c- Where the Industrial units does not commence commercial or fulfills the purpose for which exemption from stamp duty was granted, within.....years from the date of Registration of Instrument.

d. If the Allottee misutilized the exemption from stamp duty, by violating purpos specified in the project-report.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

government order with respect to stamp duty exemption

The District Magistrate shall have the right to encash the bank-guarantee and deposit the amount in the suitable head of the Stamp & Registration department.

3- All the disputes shall be subject to the Jurisdiction of Court's at.....

4-The Allottee, hereby further declares, undertake and confirm that the above information is true to best of my knowledge and belief.

In Witness whereof the Allottee, Namelyhas/have set(s) his/hers hand to this Agreement on the day, month and in the year above mentioned.

Allottee

Certifying Agency

For M/s..... For.....

Witness

Common seal of M/s...
Affixed in my/our presence

1-

2-

AFFIXED IN MY/OUR PRESENCE
(Stamp & Signature, with Date of Oath Commr.)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

government order with respect to stamp duty exemption

संलग्नक-ग

"उत्तरप्रदेश.....नीति 20..... के अन्तर्गत महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/प्रख्यापक विभाग के जिला स्तर से अनिम्न प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1. विकासकर्ता/इकाई का नाम.....
2. विकासकर्ता/इकाई का पता.....
3. प्राप्त किये गये भूमि अथवा शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन.....
4. औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा औद्योगिक पार्क एस्टेटों/एग्रो पार्क के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की तिथि.....
5. जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित.....
6. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण.....
7. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण.....

भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का कुल क्षेत्रफल जो निहित उद्देश्य से आच्छादित है
1		
2		
3		
योग		

प्रमाणित किया जाता है कि विकासकर्ता/इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार औद्योगिक इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक.....को प्रारंभ कर दिया गया है।

अथवा

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government order with respect to stamp duty exemption

अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित इकाईयों की दशा में प्रयोजन पूर्ति की प्रस्तावित को प्रयोजनक दिनांक.....की जा चुकी है।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त विकासकर्ता/इकाई द्वारा जमा किये गये। बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विकासकर्ता/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है। तथा समस्त अंकित विवरण सत्य है जिसके आधार पर स्टाम्प इयटी में देय कूल रूपये..... की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक-

स्थान-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

government orders

government order with respect to land conversion use
(town and country planning department- awas and shahri niyojan vibhag)

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या : 367 /आठ-1-23-59विविध /2018
लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 निर्गत की गयी है। इस नीति के अधीन प्रदेश के अभिकरणों द्वारा लिए जाने वाले भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क की दरों में कतिपय छूटें प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

2- अतएव उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-53 में वर्णित छूट संबंधी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 से आच्छादित नई एवं विस्तारित की जा रही पर्यटन इकाईयों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क से शत प्रतिशत छूट की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल द्वारा निम्नवत प्रस्तार-3 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है।

3- उक्त छूटें सम्बन्धित विभाग/नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट/पंजीकृत/अनुमोदन प्राप्त इकाईयों हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होगी:-

- 3.1 इकाई का संचालन आगामी पाँच वर्षों तक किए जाने की वाध्यता होगी।
- 3.2 इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समर्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।
- 3.3 उपरोक्त नीतियों के अधीन सभी अनापति प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ सम्बन्धित इकाईयों द्वारा रवयं प्राप्त की जाएंगी और सम्बन्धित विभाग के निर्देशों/नीति का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।
- 3.4 इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- 3.5 उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 से आच्छादित पर्यटन इकाईयाँ, यदि ऐसे स्थान पर प्रस्तावित हैं, जहाँ सड़क, बिजली, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध न हों तो उनकी व्यवस्था उद्यमी द्वारा स्वयं की जानी होगी तथा छूटें प्राप्त करने हेतु उक्त आशय का शापथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ओङ्का
तात्पुर
(निम्नलिखित संकेत का द्वारा दिया गया है)
(निम्नलिखित संकेत का द्वारा दिया गया है)
प्रमुख सचिव।

government orders

government order with respect to land conversion use
(town and country planning department- awas and shahri niyojan vibhag)

संख्या: 367 (1)/आठ-1-23-59विविध /2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐश्वर्य, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 31 मार्च, 2023 के असाधारण गजट विधायी परिषिष्ट भाग-4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को एवं 05-05 प्रतियाँ नीचे अंकित अधिकारियों की सीधे उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
३१.३.२०२३
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या: 367(1)/आठ-1-23-59विविध /2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या-209, रो-ब्लाक, लोक भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-907/77-6-2023-2(M)/2022 दिनांक 09.03.2023 के अनुक्रम में।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं investup@advantageup.in and solid6.up@gmail.com पर शेयर करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
३१.३.२०२३
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।



REGISTRATION PROCESS

All eligible Tourism Units are required to be registered on the UP-Tourism Website. After filling the application, the respective Tourism Unit will receive a "**Registration Certificate**" issued by Director General Tourism, Government of Uttar Pradesh.

The Registration Certificate will be visible online and can be downloaded from the dashboard accessible by both the Department and the respective applicant.

Step 1 – Register on Nivesh Mitra Portal

- To seek certificate, entrepreneur will have to register on Nivesh Mitra Portal. To register on Portal, visit official website of UP Tourism (<https://www.uptourism.gov.in/>) and go to New Tourism Policy 2022 page. Thereafter, click on **UP Tourism Policy Portal** link and open Nivesh Mitra Portal by clicking on Apply for **Tourism Unit Certificate through Nivesh Mitra** button.
- Subsequently, register on Nivesh Mitra portal by submitting Company/Enterprise Name, First & Last Name of Entrepreneur, Email ID, Mobile No. and Captcha in the respective fields of Registration Form.
- Thereafter, Login ID & Password will be sent on the entered Email ID. Along with, an Email verification link will also be sent. Verify entered Email ID through that link after which entered Mobile No. will be verified through One Time Password (OTP).
- After verification of Email ID & Mobile No., registration on portal will be completed.

Step 2 – Login through Nivesh Mitral Portal

- Fill your Login ID or registered Email ID, Password & Captcha in the respective fields and click on **Login** button.

Step 3 – Fill Common Application Form (CAF)

- After Login, click on **Fill Common Application** Form side menu and fill:

a. Personal Details

First Name | Middle Name | Last Name | Date of Birth | Enterprise's Website | PAN No. | Father's | Mother's | Husband's Name | Category | Gender

b. Communication Address

Country | State | District | Tehsil | Address | PIN Code

c. Permanent Address

Country | State | District | Tehsil | Address | PIN Code

- After filling details in the respective fields, click on **Submit** button. Details will be submitted subsequently.
- Once the CAF is submitted, create **Enterprise/Unit** by filling following details in respective forms:

i. Add Unit

Name of Unit | Nature of Activity | No. of Employees | Estimated Project Cost (in INR) | Organization Type
Industry Type | Project Status | Expected/Actual Date of Start of Manufacturing/Services/Trading/Business | Unit
Category (Investment on Plant/Machinery/Equipment) | Estimated Annual Turnover (in INR)

Click on **Save & Next** button once the details are filled.

ii. Location of Unit

Availability of Land/Leased Space for Unit? | District | Tehsil | Full Address | PIN Code

Click on **Save & Next** button once the details are filled.

iii. Authorized Person Details

Name | Address | Email ID | Mobile No.

Select the **Declaration** checkbox and click on **Final Submission** button once the details are filled.

- After submitting above details, Authorized Person's Email ID & Mobile No. will be verified through OTP. Once the verification is done, Unit will be created.

Entrepreneur is not allowed to apply for NOC unless he/she submits CAF. Details of CAF can be updated anytime.

Step 4 – Apply for Permission/NOC/License or Apply for LOC/Sanction Letter

- After submitting CAF, click on **Apply for Permissions/NOCs/License** or **Apply for LOC/Sanction Letter** side menu. Thereafter, select **Enterprise/Unit for which Department's Permissions/NOCs/Licenses/Certificates etc. are needed, Department Name and Service Name** from the respective fields and click on **New Application** button to validate the created **Unit/Enterprise** details.
- To validate the details, select the checkbox of **There is no need to modify the above furnished information** and click on **Validate** button. Details will be validated thereafter.

- If Entrepreneur wants to edit the details then select the checkbox of **I Accept Terms & Conditions & I want to edit above furnished information** and then click on **Modify** button to do changes in **Proposed Employment, Estimated Project Cost (INR)** and **Estimated Annual Turnover (INR)**. Once the details are revised, click on **Modify** button again. Details will be changed and frozen.
- **Please note that above changes are allowed only once. After Validation/Modification, no changes will be allowed in the above-mentioned details.**
- After validating the details, select Department & Service again and click on **View Applied Application** button. Subsequently, click on **Edit/Update** icon appearing in the grid/table. Entrepreneur will be redirected to the interface of UP Tourism Portal thereafter where they have to create Company Profile. To create the profile, Entrepreneur will have to submit below details:

A. Create Company Profile

- **Basic Details**
 - o Name of Authorized Person
 - o Name of Company (in English)
 - o Name of Company (in Hindi)
 - o Company Type
 - o Email ID
 - o Mobile No.
 - o Designation
 - o Type of Organization
 - o PAN
 - o GSTIN
 - o Website URL

Company Address & Contact Details

- o Country
- o State
- o District
- o PIN Code
- o Company Address
- o Alternate Mobile No.



▪ **Upload Documents**

- Aadhaar Card
- PAN Card
- GSTIN Certificate

Once all the details are filled, click on **Create button**. Profile will be created thereafter.

Please note that no changes will be allowed in Company Profile once the details are submitted. So kindly be attentive while filling the information.

B. Apply for Registration Certificate

After creating the Company Profile, Entrepreneur will be redirected to Add Project to apply for Certificate. To Add Project fill below details:

▪ **Add New Project**

- Project Name
- Project District
- Investment Proposed (INR)
- Proposed Employment
- Is MoU Signed on Nivesh Sarathi?
 - Yes (if yes then submit MoU No. and MoU Copy too)
 - No
- Application Type

Once all the details are filled, click on **Submit** button. Project will be added thereafter.

Please note that no changes will be allowed in the Project once added. So kindly be attentive while filling the information. After adding the project, Entrepreneur will be redirected to submit following details:

B.1. IF REGISTRATION OF NEW TOURISM UNIT

▪ **REGISTRATION DETAILS**

- Name of the Tourism Unit (In Hindi)
- Category of Tourism Unit
- District of Tourism Unit
- Tourism Unit Details
- Address of Tourism Unit (In English)
- Address of Tourism Unit (In Hindi)
- Available Facilities (Brief Description)

▪ **LAND RELATED DETAILS**

- Is land available for the Project?
- If **NO** then upload:
 - Duly Notarized Undertaking on Non-judicial Stamp Paper of Rs.100
 - Undertaking for Land Procurement (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
 - Preliminary Report (if any) - (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
 - Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)
- If **YES**, then submit:
 - Land Area (in Sq. Mtr.)
 - Land Ownership
 - Leased
 - Owned
 - Type of Land
 - Agricultural
 - Commercial
 - Educational
 - Industrial
 - Residential
 - Tehsil
 - Village
 - Khasra/Gata No.

UPLOAD DOCUMENTS


- Land Document (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Preliminary Report (if any) - (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)



- Once all the details are filled, click on **Submit & Preview** button. Details will be submitted thereafter, and Entrepreneur will be redirected to preview and edit the filled details. Entrepreneur can edit the filled details, if required, and do the final submission of the application.
- Please note that no changes will be allowed in the application form once its final submission is done, hence Entrepreneur should do the required changes in the application by clicking on **Edit** button.
- Once the changes are done, if any, click on **Final Submit** button. Application will be submitted thereafter and forwarded to the concerned Authority of the Department for further processing.
- Any deficiencies in the documents submitted shall be notified to the Applicant for necessary action. Applications that are incomplete in any respect shall be given a time of 7 (seven) working days to correct deficiencies in the application. However, if corrections are not made within time limits prescribed, the incomplete applications are liable to be summarily rejected. The decision to reject the Application shall be conveyed by the District Tourism Officer to the head of the Regional Tourist Office.
- Inspection** – Once the application is forwarded to the Department, the District Tourist Officer will schedule a site visit for inspection. Entrepreneur will be notified about the inspection schedule through SMS, Email & Dashboard Notification, and has to ensure their availability during inspection. Once the inspection is done, the respective officers of District Tourism will undertake the responsibility to upload the inspection report which will be further sent to the Regional Tourist for processing. The District Office can be headed by District Tourist Officer/Tourist Information Officer(TIO)/ATO and the Regional Tourism office can be headed by Regional Tourist Officer/ Deputy Director/ Joint Director which may undergo further changes from time to time. Action taken by the District Officer and Regional Tourist Officer will be notified to the Entrepreneur through SMS, Email & Dashboard Notification. The Regional Tourism Officer shall verify the report and forward it to the Directorate of Tourism. Directorate of Tourism shall scrutinize the application and issue the certificate expeditiously within a period of 45 days.
- Query** - If Department raises any query in relation to the submitted application, Entrepreneur will have to redress the query at the earliest through their login. Until the query is not answered, the department will not proceed with the application.

Details of Applications submitted will appear under Applications section.

- Applicants can track their application and get updates regarding the status of their application on the website/portal of Department of Tourism. Applicants shall also receive updates on their registered email address.
- After successful completion of registration, the Applicant shall be notified via email along with a copy of their registration certificate. Applicants can also download a copy of their registration certificate from their registered account.
- Interested Tourism Projects and Tourism Service Providers should contact nodal agency for any queries or support related to registration as a Tourism Project / Tourism Service Provider.



B.2. IF RENEWAL OF TOURISM UNIT FOR REGISTRATION CERTIFICATE

- RENEWAL DETAILS** (Registration Certificates of Tourism Policy 2016 and 2018)
 - o Name of the Eligible Tourism Unit (In Hindi)
 - o District of Tourism Unit
 - o Type of Land
 - Agricultural
 - Commercial
 - Industrial
 - Residential
 - Educational
 - o Proposed Cost (In INR)
 - o Category of Tourism Unit
 - o Current Status of Project
 - o Proposed Date of Commissioning/Operational
 - o Have you availed Stamp Duty Waiver? (Yes/No)
 - If Yes, then Details of Amount (In INR)
 - o Have you availed Land Use Conversion Waiver?
 - If Yes, then Details of Amount (In INR)
 - o Have you availed Development Charges Waiver?
 - If Yes, then Details of Amount (In INR)
 - o Address of Tourism Unit (In English)
 - o Address of Tourism Unit (In Hindi)
 - o Project Details
- UPLOAD DOCUMENTS**
 - o Registration Certificate Issued by DoT (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
 - o Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)
 - o Document of Stamp Duty Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)

- o Document of Land Use Conversion Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- o Document of Development Charges Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Once all the details are filled, click on **Submit & Preview** button. Details will be submitted thereafter, and Entrepreneur will be redirected to preview and edit the filled details. Entrepreneur can edit the filled details, if required, and do the final submission of the application.
- Please note that no changes will be allowed in the application form once its final submission is done, hence Entrepreneur should do the required changes in the application by clicking on **Edit** button.
- Once the changes are done, if any, click on **Final Submit** button. Application will be submitted thereafter and forwarded to the concerned Authority of the Department for further processing. Action taken by the Authorities of Department will be notified to the Entrepreneur through SMS, Email & Dashboard Notification.
- **Query** - If Department raises any query in relation to the submitted application, Entrepreneur will have to redress the query at the earliest through their login. Until the query is not answered, the department will not proceed with the application.

Details of Applications submitted will appear under Applications section.

B.3. IF EXPANSION OF TOURISM UNIT FOR REGISTRATION CERTIFICATE

- o Name of the Tourism Unit (In Hindi)
- o Category of Tourism Unit
- o District of Tourism Unit
- o Tourism Unit Details
- o Address of Tourism Unit (In English)
- o Address of Tourism Unit (In Hindi)
- o Type of Land
 - Agricultural
 - Commercial
 - Industrial
 - Residential
 - Educational
- o Proposed Cost (In INR)

- o Category of Tourism Unit
- o Available Facilities (Brief Description)
- o Type of Applicant (Sole Proprietorship/ Partnership/LLP/ Company)
- o Email Id
- o Contact Number
- o Website Details
- o Firm/Business Entity Correspondence Address
- o Is the expansion under 25% of the original installed capacity?
- o Original Installed Capacity (With reference to rooms and total area)
- o Proposed Installed Capacity (With reference to rooms and total area)

LAND RELATED DETAILS

- o Is land available for the Project?
 - If **NO** then upload:
 - Duly Notarized Undertaking on Non-judicial Stamp Paper of Rs.100
 - Undertaking for Land Procurement (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
 - Preliminary Report (if any) - (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
 - Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)
 - If **YES**, then submit:
 - Land Area (in Sq. Mtr.)
 - Land Ownership
 - o Leased
 - o Owned
 - Type of Land
 - o Agricultural
 - o Commercial
 - o Educational
 - o Industrial
 - o Residential

- Tehsil
- Village
- Khasra/Gata No.

UPLOAD DOCUMENTS

- Land Document (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Preliminary Report (if any) - (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)

UPLOAD DOCUMENTS

- o Registration Certificate Issued by DoT (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- o Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)
- o Document of Stamp Duty Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- o Document of Land Use Conversion Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- o Document of Development Charges Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)

- Once all the details are filled, click on **Submit & Preview** button. Details will be submitted thereafter, and Entrepreneur will be redirected to preview and edit the filled details. Entrepreneur can edit the filled details, if required, and do the final submission of the application.

- Please note that no changes will be allowed in the application form once its final submission is done, hence Entrepreneur should do the required changes in the application by clicking on **Edit** button.
- Once the changes are done, if any, click on **Final Submit** button. Application will be submitted thereafter and forwarded to the concerned Authority of the Department for further processing.
- **Query** - If Department raises any query in relation to the submitted application, Entrepreneur will have to redress the query at the earliest through their login. Until the query is not answered, the department will not proceed with the application.

Details of Applications submitted will appear under **Applications** section.



B.4. IF TOURISM UNIT FALLS UNDER THE CATEGORY OF ADAPTIVE REUSE FOR REGISTRATION CERTIFICATE

- o Name of the Tourism Unit (In Hindi)
- o Category of Tourism Unit
- o District of Tourism Unit
- o Tourism Unit Details
- o Address of Tourism Unit (In English)
- o Address of Tourism Unit (In Hindi)
- o Type of Land
 - Agricultural
 - Commercial
 - Industrial
 - Residential
 - Educational
- o Proposed Project Cost (In INR)
- o Category of Tourism Unit
- o Available Facilities (Brief Description)
- o Type of Applicant (Sole Proprietorship/ Partnership/LLP/ Company)
- o Email Id
- o Contact Number
- o Website Details
- o Firm/Business Entity Correspondence Address
- o Original Project Cost
- o Write in about 100 words a narrative about the proposed tourism unit and the need to convert it into an adaptive reuse project
- o Original Plan of the Building certified by Chartered Engineer/Architect
- o Proposed Lay-out Plan/ Map/ Building plan of Tourism Unit prepared and certified by a Chartered Engineer/ Registered Consultant/ Architect

▪ **LAND RELATED DETAILS**

- Is land available for the Project?
 - If **NO** then upload:
 - Duly Notarized Undertaking on Non-judicial Stamp Paper of Rs.100
 - Undertaking for Land Procurement (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
 - Preliminary Report (if any) - (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
 - Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)
 - If **YES**, then submit:
 - Land Area (in Sq. Mtr.)
 - Land Ownership
 - o Leased
 - o Owned
 - Type of Land
 - o Agricultural
 - o Commercial
 - o Educational
 - o Industrial
 - o Residential
 - Tehsil
 - Village
 - Khasra/Gata No.

▪ **UPLOAD DOCUMENTS**

- Land Document (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Preliminary Report (if any) - (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)



▪ **UPLOAD DOCUMENTS**

- Registration Certificate Issued by DoT (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Detailed Project Report/Preliminary Project Report (File Format: PDF | Max File Size: 40 MB)
- Document of Stamp Duty Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Document of Land Use Conversion Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Document of Development Charges Waiver (if applicable) (File Format: PDF | Max File Size: 5 MB)
- Once all the details are filled, click on **Submit & Preview** button. Details will be submitted thereafter, and Entrepreneur will be redirected to preview and edit the filled details. Entrepreneur can edit the filled details, if required, and do the final submission of the application.
- Please note that no changes will be allowed in the application form once its final submission is done, hence Entrepreneur should do the required changes in the application by clicking on **Edit** button.
- Once the changes are done, if any, click on **Final Submit** button. Application will be submitted thereafter and forwarded to the concerned Authority of the Department for further processing.
- **Query** - If Department raises any query in relation to the submitted application, Entrepreneur will have to redress the query at the earliest through their login. Until the query is not answered, the department will not proceed with the application.

Details of Applications submitted will appear under Applications section.

E. QUERY REDRESSAL SYSTEM

Entrepreneur can raise query in relation to Tourism Unit, Certification and other related services through **Query Redressal System** available on their dashboard. To raise the query, click on **Raise Query** menu and submit below details:

- Subject
- Query related to which District?
- Query Remark
- Upload Query Related File, if any (File Format: PDF/JPEG/JPG/PNG | Max File Size: 2 MB)

After filling the above details, click on **Raise** button. Query will be lodged subsequently and forwarded to the concerned Authority of Tourism Department for redressal. Action taken on the lodged query will be notified to the Entrepreneur through SMS, Email and Dashboard Notification.



Kindly refer to Chapter 7 in Tourism Policy 2022 for the various incentives and subsidies offered by the DoT (Department of Tourism).

- **Step 1:** The investor shall first apply for the Registration Certificate.
- **Step 2 : After the grant of certificate, Investor shall carry out the following tasks:**

(A) CONCESSIONS

1 Stamp duty Waiver

- the investor can apply at the concerned region office(department) and can then avail the waiver of stamp duty and waiver for land conversion and development charges.
- Eligible tourism units will then qualify for 100% exemption of Stamp Duty and Registration fee on sale/transfer/lease of land for the first transaction only if paid after the launch of the Tourism Policy 2022. New Tourism Unit

2 Land Conversion Waiver

- Expansion Tourism Unit and those converted into tourism units through adaptive reuse all over the State shall be eligible for availing the exemption of land conversion and development charges (all leasehold tourism units will be allowed freehold status as per the by-laws/rules of the Development Authorities).

(B) SUBSIDIES

Post the successful commercial operations of the eligible tourism unit, the investor can avail the benefit of capital investment subsidy, additional capital subsidy and interest subsidy. Application for availing incentives/ subsidy shall be made post commercial operations of the eligible tourism units. The applicant unit would have to submit the factual position of the capital investment.

(C) INCENTIVES

The investor can avail the benefit of various other incentives from IIDC or other committees, on approval upon fulfilling the eligibility conditions as outlined in the Policy Document and Operational Guidelines of Uttar Pradesh Tourism Policy,2022.

List of Incentives under Tourism Policy 2023 are as follows

- Special incentive for Specially Abled Employees
- Revival of scarce art, music, craft, culture, and cuisines
- Responsible Tourism
- Incentive for ICT Enablement
- Incentive for Innovation
- Incentive for Marketing and Promotion
- Incentive for Research in the Tourism/Hospitality Industry
- Incentive for Yuva Tourism



contact details

The application forms for various subsidy, incentive and concessions/exemptions have been appended in the standard operating procedures.

HEADQUARTERS

S. No.	Name	CUG No.	Email
1.	Director General Tourism	6389300600	dg-upt@up.gov.in
2.	Director Tourism	6389300502	prakhar.mishra@up.gov.in
3.	PMU	6389300504	pmu.uptourism@gmail.com
4.	Call Center	6389300548 9151018038	uptourismbda@gmail.com amit@otpl.co.in

DISTRICT | REGIONAL OFFICES

S. No.	Regional Tourism Office	CUG No.	Email
1.	Agra	6389300517	uptd-agr@up.gov.in / agrauptourism@gmail.com
2.	Varanasi	6389300508	uptd-var@up.gov.in / uptvns2@gmail.com
3.	Prayagraj	6389300505, 6389300524	rtoald0532@rediffmail.com
4.	Jhansi	6389300535	uptd-jha@up.gov.in / jhansiuptourism@gmail.com
5.	Lucknow	6389300555	uptd-luc@up.gov.in / touristoffice.rto.lko@gmail.com
6.	Gorakhpur	6389300554	uptd-gor@up.gov.in / tourism.gkp2015@gmail.com
7.	Ayodhya	6389300547	uptd-ayo@up.gov.in / rtofzd@gmail.com
8.	Bareilly	6389300560	uptd-bar@up.gov.in / rto.upt.bly@gmail.com
9.	Meerut	6389300523	uptd-mee@up.gov.in / tourism_meerut@yahoo.com
10.	Siddharthnagar	6389300564	uptourism.sdr@gmail.com
11.	Chitrakoot	6389300537	uptd-chi@up.gov.in / rtochitrakoot@gmail.com

HELPDESK TIMING


Morning 10:00 AM to Evening 6:00 PM

WEBSITE INFORMATION

Uttar Pradesh Tourism Portal: <https://uptourism.gov.in/en/page/tourism-policy>

About Us | Tourism policy | Welcome to UP Tourism-Official Website of Department of Tourism,
Government of Uttar Pradesh, India

Department Website: <https://www.uptourism.gov.in>



TOURIST PLANNER

UTTAR PRADESH



LEGEND

- Destination
 - Arounds/ Main Places
 - Other Places
 -  Railway Station
 -  Airport
 -  National Highway
 - Road
 -  NH Number
 - ... Train Route
 - International Boundary
 - ... State Boundary
 -  Fort
 -  Dargah
 -  Temple
 -  National Park/ WLS
 -  Tiger Reserve
 -  Bird Sanctuary





Uttar Pradesh

UTTAR PRADESH TOURISM

यूपी नहीं देखा, तो इंडिया नहीं देखा